

3

आय जो कुल आय में शामिल नहीं होगी


[INCOMES WHICH DO NOT FORM PART OF TOTAL INCOME]

अध्ययन के परिणाम (Learning Outcomes)

इस अध्याय के अध्ययन के बाद, आप समर्थ होंगे :

- ❑ कृषि आय के अर्थ और क्षेत्र को समझने और उसे लागू करने चाहे धारा 10(1) के तहत छूट के उद्देश्य के लिए निश्चित आय कृषि आय के क्षेत्र के भीतर आती हो।
- ❑ कार्य की पहचान जो आंशिक रूप से कृषि और आंशिक रूप से गैर कृषि होती है और उस कार्य से व्यावसायिक आय और कृषि आय की गणना करना।
- ❑ गैर-कृषि आय के साथ कृषि आय के आंशिक एकीकरण की अवधारणा को लागू करके और कृषि आय पर कर की गणना।
- ❑ धारा 10 के विभिन्न खण्डों के तहत निर्दिष्ट शर्तों को ध्यान रखते हुए आय की पहचान करने जो कुल आय का भाग नहीं होगी चाहे पूर्णतः या आंशिक और उन खण्डों के तहत छूट की मात्रा की गणना।
- ❑ SEZ में नयी इकाई स्थापित करने के लिए उसके तहत निर्दिष्ट शर्तों को ध्यान में रखकर धारा 10 AA के तहत उपलब्ध कटौती की गणना।

अध्याय अवलोकन (Chapter Overview)




1. परिचय (Introduction)

1.1. धारा 10 के तहत छूट परस्पर अध्याय VI-A के तहत कटौती (Exemption under section 10 vis-a-vis Deduction under chapter VI-A)

धारा 10 के विभिन्न खण्डों में संदर्भित आय के विभिन्न विषय निर्धारित की कुल आय से घटाये जाएंगे। इन आयों को छूट वाली आयों के रूप में जाना जाता है। इसके फलस्वरूप वह आय कुल आय की संगणना से शामिल नहीं की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, यहाँ कुछ ऐसी आय आय होती है जो कुल आय में सम्मिलित होती है, लेकिन कुल आय के मूल्यांकन में अध्याय VI-A के तहत पूर्णतः या आंशिक रूप से कटौती के लिए स्वीकृत होती है। छात्रों को एक धारा 10 के तहत छूट और अध्याय VI-A के तहत कटौती के मध्य बहुत महत्वपूर्ण अन्तर को ध्यान रखना चाहिए।



1.2. छूट जो प्रासंगिक अध्यायों के तहत विस्तारित है (Exemptions which are discussed under the relevant chapters)

इस अध्याय में हम धारा 10 के प्रावधानों का अध्ययन करने जा रहे हैं जो विभिन्न श्रेणियों की आय का विस्तृत विवरण करते हैं जो कर से मुक्त होती है।

इस अध्याय में, छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि अध्याय अवलोकन में सूचीबद्ध केवल छूट के विषय में विस्तृत विवरण है। बची हुई छूट के बारे में सम्बन्धित अध्यायों में चर्चा की जाएगी जैसा कि निर्दिष्ट है :

सम्बन्धित अध्यायों में विस्तारित छूटों की सूची (List of Exemptions being discussed in respective chapters)

वेतन (अध्याय 4 इकाई 1)

- छुट्टी यात्रा रियायत
- सरकार द्वारा भारत के नागरिक को भारत के बाहर देय भत्ता
- आनुतोषिक
- पेंशन के रूपान्तरण में भुगतान

- छुट्टी भुनाना
- छंटनी मुआवजा
- स्वैच्छिक निवृत्ति प्राप्ति
- नियोक्ता द्वारा देय आय
- भविष्य निधि से भुगतान
- सेवानिवृत्ति से भुगतान
- मकान किराया भत्ता
- शुल्कों या निजी खर्च से सम्बन्धित खर्चों को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता या लाभ
- अध्यक्ष या सेवानिवृत्त अध्यक्ष या UPSC के किसी अन्य सदस्य को विशेष भत्ते या सुविधा का भुगतान

पूँजीगत लाभ (अध्याय 4 इकाई 4)

- इकाई स्कीम की इकाई के हस्तांतरण पर पूँजीगत लाभ
- घरेलू कम्पनी के असूचीबद्ध अंशों के पुनर्खरीद पर प्राप्त आय
- निर्दिष्ट शहरी सीमाओं के भीतर कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूँजीगत लाभ
- रिवर्स बंधक के लेनदेन में प्राप्त आय

अन्य स्रोतों से आय (अध्याय 4 इकाई 5)

- कुछ व्यक्तियों के लिए उत्पन्न ब्याज आय
- विधवा/बच्चों/सशस्त्र दल के सदस्यों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन
- धारा 115-O में संदर्भित लाभांश

निर्धारिता की कुल आय में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों की आय (अध्याय 5)

- माता-पिता के हाथों में शामिल नाबालिग की आय के सम्बन्ध में छूट

सकल कुल आय से कटौतियाँ (अध्याय 7)

- LIC से प्राप्तियाँ
- NPS ट्रस्ट से किसी एक कर्मचारी को अपने खाते को बन्द करने या पेंशन योजना से बाहर निकलने पर भुगतान करना
- आंशिक वापसी पर एक कर्मचारी को NPS से भुगतान

2. कुल आय में असम्मिलित आय (धारा 10) [Incomes Not Included in Total Income (Section 10)]

अब हम विभिन्न आयों पर एक नजर डालेंगे जो कर मुक्त होती है और ऐसी छूट का लाभ उठाने के लिए संतुष्ट की जाने वाली शर्तें।

2.1. कृषि आय [धारा 10 (1)] [Agricultural Income {Section 10(1)}]

धारा 10 (1) निर्धारित करती है कि कृषि आय निर्धारित की कुल आय में सम्मिलित नहीं होती है केन्द्रीय आय कर के दायरे से कृषि आय में पूरी तरह से छूट का कारण यह कि संविधान के तहत केन्द्रीय सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

कृषि आय की परिभाषा [धारा 2(1A)] [Definition of agricultural Income {Section 2(1A)}]

यह परिभाषा काफी व्यापक है इसमें न केवल कृषकों की आय का समावेश है वरन् उन भूमि धारकों की आय का भी समावेश है, जिन्होंने अपनी भूमि किराये पर दी हो/कृषि आय को नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

कृषि आय निम्नांकित तीन विधियों में से किसी भी रूप में उत्पन्न हो सकती है—

- (1) यह भारत में स्थित तथा कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि से अर्जित लाभ या किराया हो सकता है।
- (2) यह ऐसी भूमि से प्राप्त आय हो सकता है :
 - (a) कृषि के माध्यम से या
 - (b) आमतौर पर एक उत्पादक या प्राप्तकर्ता द्वारा नियोजित प्रक्रिया का प्रदर्शन या बाजार में लेने के लिए उचित उत्पाद को प्रस्तुत करने की तरह से किया।
 - (c) बाजार में ऐसे कृषि उत्पादों की बिक्री के माध्यम से।
- (3) अन्ततः कृषि आय को कृषि गतिविधियों के लिए उपेक्षित किसी फार्म भवन से भी अर्जित किया जा सकता है।

अब हम निम्नलिखित पहलुओं पर एक महत्वपूर्ण नजर डालते हैं :

- (1) भारत में स्थापित और कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि से अर्जित लाभ या किराया (Rent or revenue derived from land situated in India and used for agricultural purposes) कृषि की आय के रूप में मानी जाने वाली आय के लिए निम्न तीन शर्तों को संतुष्ट करना होगा :
 - (a) किराया और लाभ भूमि से अर्जित हो;
 - (b) भूमि में भारत से प्रतिस्थापित होगी (यदि कृषि भूमि विदेशी देश में प्रतिस्थापित हो तो कुल आयकर योग्य होगी), और
 - (c) भूमि कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए।

भूमि का उपयोग करने के अधिकार के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से एक व्यक्ति द्वारा पैसे में या वस्तु में प्राप्त राशि को किराये के रूप में कहा जाता है। किराया भूमि के मालिक द्वारा

या उपकिरायेदार से वास्तविक किरायेदार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह सूचित करता है कि भूमि का स्वामित्व जरूरी नहीं होता है। अतः उपकिरायेदार से वास्तविक किरायेदार को प्राप्त वेतन भी उपयुक्त उल्लिखित शर्तों के अनुसार कृषि आय होगा।


शब्द "राजस्व का क्षेत्र किराये से बहुत व्यापक है। यह किराये के अलावा आय को सम्मिलित करता है उदाहरण के लिए, पट्टे पर भूमि के अनुदान के लिए नवीकरण के लिए प्राप्त शुल्क भूमि से प्राप्त राजस्व होगा।

(2) **उस भूमि से प्राप्त आय (Income derived from such land by)**

(a) **कृषि (Agriculture) :**

कृषि के माध्यम से शब्द "कृषि" अधिनियम में परिभाषित नहीं है। इसलिए, भूमि पर मानव कौशल और श्रम से जुड़े क्षेत्र की खेती को व्यापक रूप में कृषि कहा जाता सकता है।

कृषि का अर्थ है भूमि को जोतना, बीजों की बुवाई और इसी तरह के कार्य। इससे मूल संचालन और आगामी संचालन सम्मिलित होता है।



ध्यान दें : शब्द कृषि को सभी गतिविधियों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, जिनमें डेयरी फार्मिंग, प्रजनन और जीवित स्टॉक, मक्खन और पनीर बनाने और मुर्गी पालन के लिए भूमि के कुछ दूर सम्बन्ध हैं। इस अध्याय के बाद में इस पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई है।

क्या पौधशाला (नर्सरी) से आय कृषि आय का बनाना है ? (Whether income from nursery constitutes agricultural income ?)

हाँ, धारा 2 (1A) के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार नर्सरी में विकसित पौधों या पौधों से ली गयी आय कृषि आय मानी जाएगी चाहे मूल संचालन भूमि पर किये गये थे या नहीं।

- (b) **सामान्य तौर पर उत्पाद को बाजार में ले जाने के लिए उत्पाद को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया (Process ordinarily employed to render the produce fit to be taken to the market) :** कभी-कभी कृषि उत्पाद को बिक्री योग्य वस्तु बनाने के लिए उत्पाद पर किसी प्रकार की प्रक्रिया करना आवश्यक होता है। बाजार में ले जाने के लिए उत्पादित योग्यता को प्रस्तुत करने के लिए नियोजित प्रक्रिया से आय कृषि आय होगी। हालांकि यह सामान्य रूप से, किसान या वस्तु में किराये के प्राप्तकर्ता द्वारा नियोजित प्रक्रिया होनी

चाहिए और बाजार में उत्पादित को सही बनाने के लिए प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए।

सामान्य प्रक्रिया कर्मचारी को बाजार में ले जाने वाले उत्पाद को प्रदान करने के लिए, खरोचना, उखाड़ना, सफाई करना, कुचलना, सुखाना आदि शामिल है। उदाहरण के लिए सामान्य रूप में धान से चावल प्राप्त करने के लिए खेती कर्ता द्वारा नियोजित प्रक्रिया मूल अनाज से घास को पहले हटा देती है, और उसके बाद अनाज से भूसे को निकाल दिया जाता है। तब अनाज से पत्थरों को निकालने के लिए ठीक से साफ किया जाना चाहिए और फिर अंत में चावल की बाजार में बिक्री के लिए टाट के बारे में पैक करना चाहिए।

इस प्रक्रिया के बाद, चावल को बाजार में बिक्री के लिए ले जाया जाता है। बाजार के लिए चावल तैयार करने की इस प्रक्रिया में मानवीय संचालन और यांत्रिक संचालन शामिल हो सकते हैं। ये सभी संचालन सामान्य रूप से बाजार के लिए उत्पाद को उचित करने के लिए नियोजित प्रक्रिया का गठन करते हैं। प्रसंस्करण के बावजूद उत्पाद को अपने मूल चरित्र में रखना चाहिए, जब तक कि उस स्थिति में इसे बेचने के लिए कोई बाजार न हो।

हालांकि यदि विपणन प्रक्रिया एक उत्पाद पर इस तरह से प्रदर्शित की जाती है जो उसे कच्चे माल के रूप में बेची जाती है, तो इससे उत्पन्न आंशिक आय कृषि आय और आंशिक आय व्यावसायिक आय होगी।

- (c) **बाजार में उस कृषि उत्पाद की बिक्री** (Sale of such Agricultural produce in the market)—किसान की किसी भी उपज की बिक्री या किसी प्रकार के किराए में प्राप्तकर्ता की बिक्री से कोई भी आय कृषि आय है, बशर्ते वह भारत में स्थित भूमि से और कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है। हालांकि, अगर उत्पाद को बाजार के लिए उत्पाद को उचित करने के लिए नियोजित सामान्य प्रक्रिया के अलावा किसी भी प्रक्रिया के अधीन होता है तो ऐसी उपज की बिक्री पर होने वाली आय आंशिक रूप से कृषि आय और अंशतः गैर कृषि आय होगी।

इस प्रकार चाय, कपास, तंबाकू, गन्ने आदि जैसे अन्य कृषि उत्पाद विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन है और निर्मित उत्पाद बेचा जाता है, इस तरह की बिक्री पर लाभ में कृषि आय के साथ-साथ व्यावसायिक आय भी शामिल है। कृषि आय का प्रतिनिधित्व करने वाले लाभ का वह हिस्सा मुक्त होगा।

व्यावसायिक आय एवं कृषि आय के बीच की आय का अनुभाजन (Apportionment of Income between business income and agriculture income) : इस उद्देश्य हेतु आय-कर नियमावली, 1962 नियम 7, 7A, 7B तथा 8 के अनुसार व्यावसायिक आय एवं कृषि के बीच की आय का अनुभाजन :

- (i) **नियम 7 अन्य उत्पाद के उगाने एवं निर्माण से आय** (Rule 7 — Income from growing and manufacturing of any product) : जहाँ आय अंशतः कृषि आय तथा अंशतः व्यवसाय के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय होती है, तो ऐसे किसी कृषि उत्पाद का बाजार मूल्य जिसको करदाता ने वसूल किया है या प्राप्त किया है (वस्तुगत लगान के रूप में) तथा जिसको ऐसे व्यवसाय में कच्चे माल के रूप में काम में लाया गया है, जिसकी विक्रय प्राप्तियों को व्यवसाय के खातों में

शामिल किया गया है, उसको घटाया जायेगा। करदाता द्वारा किसान या वस्तुगत तौर पर लगान के प्राप्तकर्ता के रूप में किये गये किसी भी व्यय के सम्बन्ध में कोई अन्य कटौती नहीं दी जायेगी।

बाजार मूल्य का निर्धारण (Determination of market value) : इसकी दो संभावनाएं हैं—

- (i) कृषि उत्पाद या तो बाजार में अपने कच्चे रूप में या उसको विपणन हेतु उपयुक्त बनाने हेतु कोई साधारण प्रक्रिया करने के पश्चात् बेचे जाने योग्य होने चाहिए। ऐसी दशा में उस औसत मूल्य के आधार पर निकाला गया मूल्य जिस पर वह सम्बन्धित गतवर्ष के दौरान इस प्रकार बेचा गया है, बाजार मूल्य माना जायेगा।
- (ii) यह भी संभव है कि कृषि उत्पाद को उसके कच्चे स्वरूप में या कोई साधारण प्रक्रिया करने के पश्चात् न बेचा जा सकता हो। ऐसी दशा में बाजार मूल्य निम्न का योग होगा :
 - खेती की लागत
 - उस क्षेत्र का भू-राजस्व या लगान जिसमें उसे लगाया गया है, तथा
 - ऐसी राशि जिसको कर-निर्धारण अधिकारी प्रत्येक मामले की परिस्थिति के आधार पर उचित लाभ माने।

उदाहरण (Illustration) 1

श्री B गन्ना उगाता है और अपने मिल में चीनी बनाने के प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करता है। उत्पादित गन्ने का 30%, ₹ 10 लाख में विक्रय किया गया और इस गन्ने की कृषि लागत ₹ 5 लाख है। शेष गन्ने (70%) की कृषि लागत ₹ 14 लाख है जबकि इसका बाजार मूल्य ₹ 22 लाख है। शेष गन्ने पर चीनी बनाने की प्रक्रिया में ₹ 1.5 लाख व्यय करके चीनी ₹ 25 लाख में विक्रय की गई। B की व्यवसाय की और कृषि आय की संगणना करें।

हल (Solution)

श्री B की व्यवसायिक आय और कृषि आय की गणना :

Particulars	Business Income	Agricultural Income	
	(₹)	(₹)	(₹)
चीनी की बिक्री			
व्यावसायिक आय			
चीनी के विक्रय से प्राप्त आय	25,00,000		
घटाएं : चीनी का बाजारी मूल्य (70%)	22,00,000		
घटाएं : विनिर्माण व्यय	1,50,000		
	1,50,000		

कृषि आय			
चीनी का बाजारी मूल्य (70%)		22,00,000	
घटाएं : खेती की लागत		14,00,000	
			8,00,000
गन्ने की बिक्री			
कृषि आय			
गन्ने के विक्रय से प्राप्त आय (30%)		10,00,000	
घटाएं : खेती की लागत		5,00,000	
			5,00,000
			13,00,000

- (ii) नियम (7A) : रबर, की उपज और निर्माण से आय (Rule 7A – Income from growing and manufacturing of rubber) इस नियम के अनुसार यदि भारत में विक्रेता द्वारा उगाये गये रबर के पौधों से विभिन्न अपकेन्द्रित लैटेक्स या सेनेक्स की बिक्री से प्राप्त आय की संगणना की जाये। ऐसी स्थिति में बिक्री पर लाभ का 35% व्यावसायिक और पेशे से प्राप्त लाभ शीर्षक के अंतर्गत व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य है और शेष 65% कृषि आय समझा जायेगा और करमुक्त होगा।

उदाहरण (Illustration) 2

श्री C अपने द्वारा भारत में उगाई गई रबर से लैटेक्स बनाते हैं। इसे फिर बाजार में ₹ 30 लाख में विक्रय किया जाता है। रबर के पौधों को उगाने की लागत ₹ 10 लाख है और लैटेक्स बनाने की लागत ₹ 8 लाख है। उसकी कुल आय की गणना करें।

हल (Solution)

श्री C की कुल आय कृषि आय और व्यावसायिक आय से मिल कर बनती है।

लैटेक्स के विक्रय से कुल लाभ = ₹ 30 लाख – ₹ 10 लाख – ₹ 8 लाख = ₹ 12 लाख

कृषि आय = ₹ 12 लाख का 65% = ₹ 7.8 लाख

व्यवसाय आय = ₹ 12 लाख का 35% = ₹ 4.2 लाख

- (iii) नियम 7B : कॉफी की उपज व निर्माण से आय (Rule 7B – Income from growing and manufacturing of coffee) : (a) यदि भारत में किसी विक्रेता द्वारा कोई आय, कॉफी की उपज या निर्मित होने से होती है, तो उसकी 25 प्रतिशत आय व्यापार व पेशे से आय के अन्तर्गत करयोग्य होगी बाकी 75 प्रतिशत आय करमुक्त होगी। (b) भारत में विक्रेता द्वारा उगाई, निर्मित, और भुनी हुई कॉफी को बेचने से प्राप्त आय (चाहे इसमें चिकरी या अन्य स्वाद तत्व मिला हो या न मिला हो) का 40 प्रतिशत लाभ व्यापार से आय के रूप में तथा 60 प्रतिशत कृषि आय के रूप में मानी जायेगी जो करमुक्त होगी।

- (iv) **नियम 8 : चाय की पैदावार और उसके विपणन से आय (Rule 8 – Income from growing and manufacturing of tea) :** यह नियम उन करदाताओं पर लागू होता है जो स्वयं चाय उगाते हैं और भारत में उसका उत्पादन करते हैं। ऐसे मामलों में उनकी बिक्री का 40 प्रतिशत भाग व्यापार की आय माना जायेगा एवं 60 प्रतिशत भाग केवल कृषि आय माना जायेगा जोकि करमुक्त होगा।

नियम	कुछ मामलों में आय का विभाजन	कृषि आय	व्यावसायिक आय
7A	रबड़ की उपज और निर्माण से आय	65%	35%
7B	कॉफी की उपज और निर्माण से आय		
	<ul style="list-style-type: none"> • उपाजित और निर्मित कॉफी की बिक्री से आय • उगाई निर्मित भुनी और भूमि में लगी कॉफी के बिक्री से आय 	75%	25%
8.	चाय के उपज और बिक्री से आय	60%	40%

- (3) **फार्म भवन से आय (Income from Farm Building) :** फार्म भवन से आय जो ऐसी किसी भूमि के किराये या आय के प्राप्तकर्ता द्वारा अधिकृत या प्रवृत्त की गयी हो अथवा किसी भूमि के जिसके सम्बन्ध में या जिसकी उत्पत्ति में ऊपर चर्चित की गयी कोई प्रक्रिया चलाई गयी है, उस प्रकार के किराये के प्राप्तकर्ता या कृषक के द्वारा अधिकृत की गयी हो, कृषिगत आय हो सकती है। किसी कृषि भवन से आय जो निम्न शर्तों को पूरा करे कृषि आय होगी।

हालांकि, किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग की गई ऐसी कृषि भवन/इमारत से अर्जित आय (रहने के उद्देश्य या व्यवसाय एवं पेशे के उद्देश्य के लिए उधार देने को शामिल करते हुए) को पृष्ठ सं. 3.5 में अनुच्छेद 2.1 के (1) व (2) के अनुसार कृषि के अतिरिक्त इसे कृषि आय नहीं माना जायेगा।

आगे, ऐसे कृषि भवन से प्राप्त आय को केवल कृषि आय माना जायेगा यदि निम्नलिखित शर्तें परिपूर्ण होंगी :

- (a) भवन कृषि भूमि पर या उसके तुरन्त निकट स्थित हो और
- (b) लगान या आगम का प्राप्तकर्ता, या किसान या लगान को वस्तु रूप में प्राप्त करने वाले को, भूमि से उसके सम्बन्धों के कारण, इसकी एक रिहायशी मकान के रूप में या अन्य खलिहान स्वरूपी भवन के रूप में प्रयुक्त हो।

उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त निम्न दो शर्तों में से किसी एक शर्त का भी पालन होना चाहिए :

- (i) भूमि या तो भारत के भू-राजस्व के अन्तर्गत करारोपित होती हो या उस पर कोई स्थानीय कर लगता हो जिसको सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगाया तथा वसूल किया जाता हो।
- (ii) जहाँ भूमि पर इस तरह से भू-राजस्व नहीं लगाया जाता या कोई स्थानीय कर नहीं लगाया जाये तो :

- (a) यह ऐसे किसी क्षेत्र में स्थित नहीं होना चाहिए जो किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्र में आती हो जिसकी जनसंख्या 10,000 से कम न हो।
- (b) किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित नहीं है जो ऐसी दूरी के अन्दर है जिसका हवाई मापन, पिछली जनगणना के सन्दर्भ में, ऐसी जनसंख्या के विस्तार के सम्बन्ध में, जैसे कि नीचे वर्णित है :

	नगर पालिका या कन्टोमेन्ट (उपर्युक्त (a) में संदर्भित) की स्थानीय सीमाओं से न्यूनतम हवाई दूरी	गतवर्ष के प्रथम दिवस से पूर्व प्रकाशित पिछली जनगणना के अनुसार प्रासंगिक संख्याएं
(i)	≤ 2 कि.मी.	> 10,000 ≤ 1,00,000
(ii)	≤ 6 कि.मी.	> 1,00,000 ≤ 10,00,000
(iii)	≤ 8 कि.मी.	> 10,00,000

उदाहरण (Example)

	क्षेत्र	नगर पालिका या कन्टोमेन्ट (उपर्युक्त (a) में संदर्भित) की स्थानीय सीमाओं से न्यूनतम हवाई दूरी	गतवर्ष के प्रथम दिवस से पूर्व प्रकाशित पिछली जनगणना के अनुसार प्रासंगिक संख्याएं	इस क्षेत्र में स्थित भूमि क्या कृषि भूमि है?
(i)	A	1 कि.मी.	9,000	हाँ
(ii)	B	1.5 कि.मी.	12,000	नहीं
(iii)	C	2 कि.मी.	11,00,000	नहीं
(iv)	D	3 कि.मी.	80,000	हाँ
(v)	E	4 कि.मी.	3,00,000	नहीं
(vi)	F	5 कि.मी.	12,00,000	नहीं
(vii)	G	6 कि.मी.	8,000	हाँ
(viii)	H	7 कि.मी.	4,00,000	हाँ
(ix)	I	8 कि.मी.	10,50,000	नहीं
(x)	J	9 कि.मी.	15,00,000	हाँ

शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के हस्तान्तरण से होने वाली आय कृषि की आय होगी? (Would Income arising from transfer of agricultural and situated in urban area be agricultural income?)

नहीं, स्पष्टीकरण 1 के अनुसार धारा 2(1A) के स्पष्टीकरण के अनुसार, शहरी क्षेत्र में किसी कृषि भूमि के हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभ को धारा 10 के अर्थों में कृषि आय नहीं माना जाएगा कि बल्कि धारा 45 के अन्तर्गत करयोग्य होगी।

उदाहरण (Example)

मान लो कि श्री A नई दिल्ली में स्थित कृषि भूमि की ₹ 10 लाख में बेचता है तथा अपनी प्राप्ति लागत पर ₹ 8 लाख का आधिक्य अर्जित करता है। यह आधिक्य कृषि आय का सृजन नहीं करेगा जो धारा 10(1) के अन्तर्गत कर मुक्त होती है वरन् यह आधिक्य धारा 45 के अन्तर्गत पूँजी लाभ के रूप में करयोग्य होगा।

भूमि से अप्रत्यक्ष सम्बन्ध (Indirect Connection with Land)

हमने अभी तक समझा है कि कृषि आय चाहे वह किसान द्वारा प्राप्त की जाये या भूस्वामी द्वारा, 'करमुक्त' होती है। लेकिन गैर-कृषि आय केवल इस आधार पर कृषि आय नहीं बन जाती कि उसका भूमि से अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। निम्न उदाहरण इस बात की पुष्टि करेंगे :

- (1) एक ग्रामीण समिति का मुख्य व्यवसाय है अपनी सदस्य समितियों की ओर से किसानों द्वारा बेची गई क्रीम से इन समितियों द्वारा निर्मित मक्खन को बेचना। मक्खन का बनाना एक कारखाने की कार्यवाही है जो खेती से अलग है। निर्णय दिया गया कि कारखाना गतिविधियों से उत्पन्न मक्खन एक कृषि उत्पाद नहीं है तथा इसलिये समिति आय-कर की धारा 10(1) के अनुसार मुक्ति के लिए हकदार नहीं है।
- (2) श्री एक्स एक कम्पनी के प्रबन्धक अभिकर्ता थे। उनको कम्पनी के वार्षिक शुद्ध लाभ पर 10 प्रतिशत की दर से कमीशन मिलता था। कम्पनी की आय का एक भाग कृषि आय का था। श्री एक्स ने दावा किया कि चूंकि उसका पारिश्रमिक कम्पनी का आय के संदर्भ में एक भाग कृषि आय है अतः कमीशन का वह भाग जो कृषि आय से आनुपातिक है, आय-कर से मुक्त है। तब से एक्स को उसकी व्यक्तिगत सेवा के लिये एक अनुबन्ध के अन्तर्गत पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसे कम्पनी की अर्जित लाभ की राशि पर निकाला जाता है तथा ऐसा पारिश्रमिक कृषि आय नहीं है।
- (3) Y 100 एकड़ भूमि का मालिक है, जिसका एक भाग गायों के लिये चरागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। भूमि पूरी तरह से खाद्यान्न के लिये तथा कृषि से जुड़े अन्य कार्यों के लिये रखी जाती है तथा करदाता की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् आधिक्य दूध बचने पर बेचा जाता है। प्रश्न पैदा हुआ कि क्या दूध के ऐसे विक्रय से आय कृषि आय है। निर्णय दिया गया कि वह नियमितता जिसके साथ दूध की बिक्री होती थी तथा बिके दूध की मात्रा, बताती है कि करदाता एक व्यापारिक आधार पर दूध उत्पादन तथा विपणन के व्यवसाय को नियमित तौर से चला रहा था। अतः यह कृषि आय नहीं थी।
- (4) B कुछ चाय कम्पनियों में अंशधारी था जिसकी आय का 60 प्रतिशत कृषि आय के रूप में करमुक्त होता था। उसने दावा किया कि उसके द्वारा इन कम्पनियों में रखे गये अंशों पर प्राप्त लाभांश का 60 प्रतिशत कृषि आय के रूप में कर से मुक्त है। लाभांश कम्पनी के अंशों में किये गये निवेश से उत्पन्न हो रहा है और यह कृषि आय नहीं है।
- (5) स्वतः उत्पन्न होने वाले जंगली पेड़ों के सम्बन्ध में जो भूमि पर बिना किसी मानवीय चातुर्य तथा श्रम के पैदा हो जाते हैं। यद्यपि वन सम्बन्धी गतिविधियाँ जो करदाता द्वारा की जाती हैं, जिससे जंगली पेड़ों का सृजन तथा विकास होता है, यह कृषि गतिविधि नहीं है। इसलिए इस तरह से अपने आप उगे हुए जंगली पेड़ों को बेचने से हुई आय कृषि आय नहीं है।

कृषि आय और गैर कृषि आय के उदाहरण (Examples of Agricultural income and Non-agricultural income)

इस अवधारणा को भली प्रकार से समझने के लिये आगे कुछ उदाहरण कृषि व गैर-कृषि आय के सम्बन्ध में दिये जा रहे हैं :

कृषि आय (Agricultural Income)

1. बीजों की बिक्री से आय
2. पुष्प और लताओं को उगाने से हुई आय
3. कृषि कार्यों के लिये जरूरी जानवरों के चरने के लिये प्रयोग की गई भूमि के किराये से आय
4. बाँस की उपज से आय।

गैर-कृषि आय (Non-agricultural Income)

1. पशुधन के प्रजनन से आय
2. मुर्गी पालन से आय
3. मछली पालन से आय
4. डेयरी उद्योग से आय

गैर कृषि आय के साथ आय का आंशिक एकीकरण (Partial Integration of agricultural income with non-agricultural Income)

जैसे कि उपयुक्त चर्चा में हम देखते हैं कि धारा 2(1A) के खण्ड में परिभाषित शर्तों के अनुसार कृषि आय मुक्त होती है। पद्धति निर्धारित की जा चुकी है। इस अवधारणा को करों का आंशिक समाकलन कहा जाता है। यह पद्धति व्यक्ति, संयुक्त हिन्दू परिवार, अपंजीकृत फर्म, व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के संस्थान तथा कृत्रिम व्यक्तियों पर लागू होती है। यह मात्र दो शर्तों के संतुष्ट होने पर ही लागू होगी :

1. जब शुद्ध कृषि आय ₹ 5,000 प्रतिवर्ष से अधिक हो, और
2. गैर-कृषि आय कर मुक्त सीमा की अधिकतम राशि से अधिक हो (अर्थात् वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹ 5,00,000, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹ 3,00,000 अन्य व्यक्तियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों के लिए ₹ 2,50,000)।

यह उल्लेखनीय है कि कृषि आय को जोड़ने का प्रावधान कम्पनी, फर्म, LLP, सहकारी समिति तथा स्थानीय सत्ताओं पर लागू नहीं होती। शुद्ध कृषि आय को गैर-कृषि आय के साथ जोड़ने का उद्देश्य है गैर-कृषि आय पर अपेक्षाकृत ऊंची दर से कर लगाना। ऐसी दशाओं में कर गणना की विधि निम्न प्रकार है :

चरण 1 : गैर-कृषि आय + शुद्ध कृषि आय : इस पर कर की गणना करें।

चरण 2 : शुद्ध कृषि आय + निर्धारित को उपलब्ध अधिकतम छूट सीमा अर्थात् ₹ 2,50,000/3,00,000/5,00,000 : इस पर आयकर की गणना करें।

चरण 3 : उपर्युक्त (चरण 1) में निकाली गई आयकर की राशि में से उपर्युक्त (चरण 2) में निकाली गई राशि को घटाया जाता है। अर्थात् चरण 1 – चरण 2

चरण 4 : यदि लागू हो, इस तरह की राशि अधिभार द्वारा बढ़ाई जाएगी। धारा 87A के तहत लागू यदि कोई है तो इसे छूट से कम कर दिया जाएगा।

चरण 5 : इसके बाद, यह 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर द्वारा बढ़ाया जाएगा।

उपर्युक्त को निम्न उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है :

उदाहरण (Illustration) 3

निवासी श्री एक्स ने पूर्व वर्ष 2019-20 के लिए अपनी आय का निम्नलिखित विवरण दिया है :

	₹
(i) वेतन से आय (संगणित)	2,80,000
(ii) मकान संपत्ति से आय (संगणित)	2,50,000
(iii) जयपुर में भूमि से कृषि आय	4,80,000
(iv) कृषि आय अर्जित करने में वहन किया गया व्यय	1,70,000
कर देयता की गणना कीजिए यदि उसकी आय :	
(a) 45 वर्ष हो	
(b) 70 वर्ष हो	

हल (Solution)

कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री एक्स की कुल आय की गणना

(a) कर दायित्व की गणना (आयु 45 वर्ष) [Computation of Tax Liability (age 45 years)]—करों के रूप में आंशिक समाकलन के प्रयोजन के लिए श्री एक्स ने दोनों शर्तें पूरी की हैं अर्थात् :

1. इस वर्ष शुद्ध कृषि आय ₹ 5,000 से अधिक है; और
2. गैर-कृषि आय ₹ 2,50,000 की आधारिक छूट सीमा से अधिक है।

कर देयता की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है :

विवरण	राशि (₹ में)	राशि (₹ में)
वेतन से आय		2,80,000
मकान संपत्ति से आय		2,50,000
शुद्ध कृषि आय (₹ 4,80,000 – ₹ 1,70,000)	3,10,000	
घटाएं: धारा 10(1) के अधीन छूट	(3,10,000)	शून्य
सकल कुल आय		5,30,000
घटाएं: अध्याय VIA के अधीन कटौतियां		शून्य
कुल आय		5,30,000

चरण 1 : ₹ 5,30,000 + ₹ 3,10,000 = ₹ 8,40,000
 ₹ 8,40,000 पर कर = ₹ 80,500
 (अर्थात् ₹ 2,50,000 का 5% जोड़ें ₹ 3,40,000 का 20%)

चरण 2 : ₹ 3,10,000 + 2,50,000 = ₹ 5,60,000
 ₹ 5,60,000 पर कर = ₹ 24,500
 (अर्थात् ₹ 2,50,000 का 5% जोड़ें ₹ 60,000 का 20%)

चरण 3 : ₹ 80,500 – ₹ 24,500 = ₹ 56,000

चरण 4 : देय कुल कर = ₹ 56,000

और 5 = ₹ 56,000 + 56,000 का 4% = ₹ 58,240.

(b) कर दायित्व की गणना (आयु 70 वर्ष) [Computation of tax liability (age 70 years)]: करों के रूप में आंशिक समाकलन के प्रयोजन के लिए श्री एक्स ने दोनों शर्तें पूरी कर ली हैं अर्थात्

1. इस वर्ष शुद्ध कृषि आय ₹ 5,000 से अधिक है; और
2. गैर कृषि आय ₹ 3,00,000 की आधारिक छूट सीमा से अधिक है।

उनके कर दायित्व की गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है :

चरण 1 : ₹ 5,30,000 + ₹ 3,10,000 = ₹ 8,40,000
 ₹ 8,40,000 पर कर = ₹ 78,000
 (अर्थात् ₹ 2,00,000 का 5% जोड़ें ₹ 3,40,000 का 20%)

चरण 2 : ₹ 3,10,000 + ₹ 3,00,000 = ₹ 6,10,000
 ₹ 6,10,000 पर कर = ₹ 32,000
 (अर्थात् ₹ 2,00,000 का 5% जोड़ें ₹ 1,10,000 का 20%)

चरण 3 : ₹ 78,000 – ₹ 32,000 = ₹ 46,000

चरण 4 और 5 : देय कुल कर = ₹ 46,000

= ₹ 46,000 + 46,000 का 4% = ₹ 47,840

2.2 हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में से एक सदस्य द्वारा प्राप्त राशियाँ [धारा 10(2)] [Amounts received by a member from the income of the HUF {Section 10(2)}]

- (i) जैसा कि अध्याय 1 में बताया गया था, एक हिन्दू अविभाजित परिवार एक ऐसा व्यक्ति है जो अधिनियम के अन्तर्गत कर की एक पृथक् इकाई है। हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा अर्जित आय उसके अपने इसी रूप में करयोग्य होती है।
- (ii) एक ही आय को दो बार करारोपण से बचाने के लिए, एक बार उस अविभाजित हिन्दू परिवार के रूप में जिसने उसको कमाया है, तथा पुनः उस सदस्य के लिए जिसको आय दी गयी है, धारा 10(2) व्यवस्था करती है कि एक हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य ऐसी किसी आय पर कर नहीं देगा जो उसे परिवार से मिली है।

(iii) ऐसी मुक्ति हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा अपने सदस्यों को दिये गये भुगतानों के सम्बन्ध में ही लागू होती है :

- (अ) परिवार की आय में से, या
(ब) परिवार की अविभाज्य सम्पत्ति की आय से।

उदाहरण (Illustration) 4

श्री A एक HUF का एक सदस्य है, HUF की आय से अपने भाग के रूप में ₹ 10,000 प्राप्त करते हैं। क्या वह आय उसकी प्रभार्य आय में सम्मिलित होगा? आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के सन्दर्भ में परीक्षण कीजिए।

हल (Solution)

नहीं। यह आय श्री A की प्रभार्य आय में सम्मिलित नहीं होगी। चूँकि धारा 10 (2) में HUF के सदस्य के रूप एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई राशि कर मुक्त होती है जहाँ यह राशि परिवार की आय में से दी जाएगी।

2.3 एक साझेदार की आय का भाग [धारा 10(2A)] [Share income of a partner {Section 10(2A)}]

यह प्रावधान फर्म की कुल आय में से साझेदार के भाग को करमुक्त करता है। सरल शब्दों में, फर्म की कुल आय में साझेदारों का भाग, जिसको लाभ विभाजन अनुपात से निकाला जाता है करमुक्त होगा।

साझेदार की आय के भाग की करदेयता यदि फर्म की आय अध्याय III में करमुक्त अध्याय VIA में कटौती योग्य है [परिपत्र सं. 8/2014 दिनांक 31.3.2014] [Taxability of partner's share, where the income of the firm is exempt under Chapter III/deductible under Chapter VI-A (Circular No. 8/2014 dated 31.03.2014)]

धारा 10(2A) व्यवस्था करती है कि फर्म की कुल आय में साझेदार का भाग उसकी कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि फर्म पर पृथक् रूप से निर्धारण होता है। वास्तव में, साझेदार का फर्म के लाभ का भाग, उसके हाथों में करमुक्त है।

उपधारा (2A) को वित्त अधिनियम, 1992 के द्वारा धारा 10 में जोड़ा गया था जो दिनांक 1.4.1993 से प्रभावी है, क्योंकि साझेदारी फर्म पर करारोपण की योजना से परिवर्तन किया गया था। निर्धारण वर्ष 1993-94 से फर्म पर फर्म के रूप में निर्धारण होता है और अपनी कुल आय पर कर भुगतान के लिए दायी होती है। अतः एक साझेदार एक बार पुनः उपर्युक्त कुल आय में अपने भाग पर कर देने के लिए दायी नहीं है।

फर्म के साझेदार के लिए आय की विमुक्ति की राशि के सम्बन्ध में प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, यदि फर्म ने अध्याय III एवं अध्याय VIA के अधीन विमुक्ति एवं कटौती का दावा किया हुआ है।

CBDT ने स्पष्ट किया है कि फर्म की आय पर निर्धारण केवल फर्म के लिए ही किया जाएगा, और उस पर किसी भी परिस्थिति में साझेदार के लिए करारोपित नहीं किया जा सकता है। अतः फर्म की पुस्तकों में साझेदार के खाते में जमा किया गया सम्पूर्ण लाभ, साझेदार के लिए करमुक्त होगा, भले ही, इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के अधीन फर्म द्वारा विमुक्तियों एवं कटौतियों का दावा करने के परिणामस्वरूप फर्म की आय शून्य हो जाए।

2.4. एक व्यक्ति के एनआरई (NRE) खाते में उसकी साख पर उपस्थित धन पर ब्याज [धारा 10(4)(ii)] [Interest on moneys standing to the credit of individual in his NRE A/c {Section 10(4)(ii)}]

धारा 10 (4) (ii) के अनुसार, एक व्यक्ति के मामले में, उसके गैर-निवासी (NRE A/C (बाध्य) खाते में जमा के लिए रखे पैसे पर ब्याज के रूप में कोई आय किसी बैंक में विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999 (FEMA, 1999) और उसके तहत बने नियमन के अनुसार करमुक्त होगी यह वह व्यक्ति :

- FEMA, 1999 में परिभाषित, भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति होता है या
 - जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वह खाता बनाये रखने के लिए एक व्यक्ति होता है।
- इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि गैर निवासी (बाहरी) खातों के संयुक्त धारक मात्र इस आधार पर कि इस खातों को संयुक्त नामों में रखा जा रहा है। व्यक्तियों का संघ का सृजन नहीं करते। धारा 10(4)(ii) के अन्तर्गत मुक्ति का लाभ ऐसे संयुक्त धारकों के प्रत्येक संयुक्त खाताधारी के उस धारा में उल्लिखित निश्चित शर्तों को पूरा करने पर उपलब्ध होगा।

2.5 व्यक्तियों द्वारा पारिश्रमिक की प्राप्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं [धारा 10(6)] (Remuneration received by individuals, who are not citizens of India {Section 10(6)})

ऐसे 'व्यक्ति' करदाता जो भारत के नागरिक नहीं हैं, कुछ मुक्तियों के अधिकारी हैं :

(i) **विदेशी राज्य के दूतावास के प्रतिनिधि द्वारा पारिश्रमिक की प्राप्ति [धारा 10(6)(ii)] [Remuneration received by officials of Embassies etc. of foreign States {Section 10 (6) (ii)}]**

एक दूतावास, उच्च आयोग, प्रतिनिधि मण्डल, कॉन्सुलेट या एक विदेशी राज्य का व्यापारिक प्रतिनिधि या ऐसे अधिकारिक स्टाफ के सदस्य के रूप में अपनी सेवाओं के लिये उनको प्राप्त पारिश्रमिक के सम्बन्ध में सशर्त मुक्ति स्वीकार करती है।

शर्तें (Conditions)

- (a) ऐसे दावेदार अधिकारी के देश में सेवारत समकक्ष भारतीय सरकारी अधिकारियों का पारिश्रमिक भी मुक्त होना चाहिए।
- (b) ऐसे दावेदार अधिकारी सम्बद्ध देशों का नागरिक होना चाहिए तथा भारत में किसी अन्य व्यापार या पेशे या रोजगार में संलग्न नहीं होना चाहिए।

(ii) **विदेशी उद्यम द्वारा नियोजित एक विदेशी राष्ट्रीय द्वारा भारत में प्रदान की गयी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक [धारा 10(6)(vi)] [Remuneration received for services rendered in India as an employee of foreign enterprise [Section 10(6)(vi)]**

एक विदेशी नागरिक के भारत में निवास की अवधि में उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं हेतु, एक विदेशी उपक्रम के एक कर्मचारी के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक करमुक्त है।

शर्तें (Conditions)

- (a) विदेशी उपक्रम भारत में किसी व्यापारिक गतिविधि में संलग्न नहीं है;

- (b) भारत में विदेशी कर्मचारी का निवास गतवर्ष में कुल 90 दिन की अवधि से अधिक नहीं है;
- (c) पारिश्रमिक कर के प्रति दायी सेवायोजक की आय से कटौती योग्य नहीं है।
- (iii) विदेशी जहाज में रोजगार के सम्बन्ध में प्रदान की गयी सेवाओं के लिए गैर नागरिक द्वारा प्राप्त वेतन [धारा 10 (6)(viii)] [Salary received by a non-citizen non-resident services rendered in connection with employment in foreign ship (Section 10 (6) (viii))]

भारत के एक गैर-नागरिक (जो कि एक विदेशी जहाज पर अपने रोजगार के सम्बन्ध में दी गयी सेवाओं के लिए भी एक गैर-नागरिक है) को प्राप्त या उसको देय वेतन आय, जहाँ वह भारत में गतवर्ष में 90 दिनों से अधिक के लिए नहीं ठहरा है, करमुक्त है।

- (iv) एक विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए भारत में रहने के दौरान किसी विदेशी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक [धारा 10(6)(xi)] {Remuneration received by Foreign Government employees during their stay in India for specified training [Section 10(6)(xi)]}

विदेशी सरकारी कर्मचारियों को उनके भारत में रहने के दौरान उनकी सम्बन्धित सरकार से प्राप्त कोई भी पारिश्रमिक कर मुक्त है। अगर इस तरह का पारिश्रमिक किसी प्रशिक्षण या कार्यालय में उनके प्रशिक्षण के साथ प्राप्त होता है निम्न के स्वामित्व में—

- (a) सरकार, अथवा
- (b) केन्द्र या किसी राज्य सरकार या संयुक्त रूप से केन्द्र और एक या अधिक राज्य सरकारों के पूर्णतः स्वामित्व वाली कोई भी कम्पनी। अथवा
- (c) कोई भी कम्पनी जो ऊपर (b) में निर्दिष्ट कम्पनी की सहायक कम्पनी हो, अथवा
- (d) कोई भी वैधानिक संस्था, अथवा
- (e) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी अन्य समान कानून के तहत पंजीकृत कोई भी समिति, जो पूरी तरह से केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संयुक्त रूप से केन्द्र और एक या अधिक राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

2.6. तकनीकी सेवाओं के लिए, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) द्वारा प्राप्त रॉयल्टी आय या शुल्क [धारा 10(6D)] {Royalty income or fees for technical services received from National Technical Research Organisation (NTRO) [Section 10(6D)]}

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसन्धान संगठन द्वारा भारत में या उसके बाहर प्रस्तुत तकनीकी सेवाओं से रॉयल्टी के माध्यम से गैर कॉर्पोरेट, गैर निवासी और विदेशी कम्पनियों को होने वाली आय कर युक्त है।

2.7. भोपाल गैस पीड़ितों को भुगतान [धारा 10(10BB)] [Payments to Bhopal Gas Victims {Section 10(10BB)}]

भोपाल गैस रिसाव विनाश अधिनियम, 1985 या इसके अन्तर्गत निर्मित किसी योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को किया गया कोई भुगतान पूरी तरह करमुक्त होगा। लेकिन किसी करदाता को

भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के संबंध में किया गया भुगतान उस सीमा तक जहां तक ऐसी आपदा के कारण, उसको कोई हानि या क्षति होने के कारण इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कटौती की गई है, करमुक्त नहीं होगा।

2.8. किसी आपदा के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति [धारा 10(10BC)] [Compensation received on account of disaster {Section 10(10BC)}]

- (i) यह प्रावधान किसी व्यक्ति या उसके वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा किसी आपदा के कारण से क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त अथवा प्राप्य राशि को मुक्त करता है।
- (ii) ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि केन्द्र अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त या प्राप्य होनी चाहिए।
- (iii) परन्तु यह छूट उस सीमा तक नहीं मिलेगी जिस सीमा तक इस अधिनियम के अन्तर्गत हानि या नुकसान के लिए कटौती प्राप्त कर ली गई है।
- (iv) आपदा का अर्थ कोई महान संकट, दुर्घटना, विनाश अथवा भीषण घटना जो किसी क्षेत्र में हुई है, जिसका कारण प्राकृतिक अथवा मानवीय कृत्य अथवा दुर्घटना अथवा लापरवाही हो सकती है :
 - (1) जीवन की यथेष्ट हानि अथवा मानवीय कष्ट; अथवा
 - (2) सम्पत्ति को हानि अथवा विनाश; अथवा
 - (3) वातावरण को हानि अथवा पतन

यह इतनी भीषण एवं विराट होनी चाहिए जो कि प्रभावित क्षेत्र के समुदाय द्वारा सहन की जा सके।

उदाहरण (Illustration) 5

एक व्यक्ति या उससे कानून उत्तराधिकारी द्वारा स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त आपदा के कारण मुआवजा कर योग्य है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के सन्दर्भ में इस कथन की सत्यता का वर्णन कीजिए।

हल (Solution)

यह कथन सत्य नहीं है। धारा 10 (10 BC) के अनुसार, मुआवजे के रूप में एक व्यक्ति या उसके कानून उत्तराधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली या प्राप्त कोई राशि कर मुक्त होती है। हालांकि, छूट ऐसे व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को इस हद तक या ऐसी आपदा के कारण होने वाले नुकसान के कारण इस अधिनियम के तहत पहले से कटौती के रूप में दी गयी है।

2.9. सुकन्या समृद्धि खाते से भुगतान [धारा 10(11A)] [Payment from Sukanya Samriddhi Account {Section 10 (11A)}]

धारा 10 (11A) बताती है कि सरकारी बचत खाता अधिनियम 1873 के तहत बने सुकन्या समृद्धि खाता नियमन 2014 के अनुसार खुले खाते से कोई भुगतान निर्धारित की कुल आय में शामिल नहीं होगा।

तदनुसार, इस योजना के तहत किसी खाते में जमाराशियों पर अर्जित ब्याज और वापसी कर मुक्त होती है।

2.10. शैक्षिक छात्रवृत्ति [धारा 10(16)] [Educational Scholarship {Section 10(16)}]

शिक्षा की लागत पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति का मूल्य प्राप्तकर्ता के लिए छात्रवृत्ति की राशि या स्रोत पर ध्यान दिए बिना करमुक्त होगा।

2.11. संसद और विधानसभा सदस्यों को भुगतान [धारा 10(17)] [Payment of MPs & MLAs {Section 10(17)}]

संसद सदस्यों अथवा राज्य विधायकों की निम्नांकित आयें करमुक्त होंगी;

- (i) **दैनिक भत्ता (Daily Allowance)**—संसद के किसी सदस्य या राज्य विधायक या उनकी किसी समिति के सदस्य को प्राप्त दैनिक भत्ता।
- (ii) **संसद सदस्य के सभा क्षेत्र भत्ता (Constituency Allowance of MPs)**—संसद सदस्य; सभा क्षेत्र भत्ता नियम 1986 के अन्तर्गत संसद सदस्य की या उसकी समिति के सदस्य की दशा में प्राप्त कोई भत्ता; तथा
- (iii) **राज्य विधानमण्डल के सभा क्षेत्र भत्ता (Constituency Allowance of MLA's)**—राज्य विधानमण्डल के सदस्य अथवा उसकी किसी समिति के सदस्यों की दशा में राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या नियमों के अधीन प्राप्त कोई सभा क्षेत्र भत्ता।

2.12. साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक कार्यों के लिए पुरस्कार एवं सरकार द्वारा अन्य पुरस्कार [धारा 10(17A)] [Awards for literary, scientific and artistic works and other awards by the Government {Section 10(17A)}]

केन्द्रीय/राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी निकाय द्वारा जनहित में स्थापित कोई पुरस्कार तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोई पुरस्कार जो ऐसे उद्देश्यों हेतु जिसे जनहित में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सके, नए वाक्यांश 17A के अन्तर्गत मुक्ति का लाभ उठा सकेंगी।

2.13. वीरता पुरस्कार के प्रापक द्वारा प्राप्त पेंशन [धारा 10(18)] [Pension received by recipient of gallantry awards {Section 10(18)}]

- (i) एक व्यक्ति द्वारा कोई भी पेंशन के रूप में प्राप्त आय करमुक्त होती; यदि—
 - (a) ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय या राज्य सरकार का कर्मचारी था और,
 - (b) उसे "परमवीर चक्र" या "महावीर चक्र" या "वीर चक्र" या ऐसे वीरता पुरस्कार जो केन्द्र सरकार द्वारा उसके आधार पर सूचित किए गए हों, से सम्मानित किया गया है।
- (ii) एक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, उस व्यक्ति के सदस्यों द्वारा प्राप्त कोई भी ऐसी पेंशन के रूप में प्राप्त धनराशि भी इस उल्लेख के अधीन कर मुक्त होगी।
- (iii) एक व्यक्ति के सम्बन्ध में परिवार से मतलब—

- पति या पत्नी और व्यक्ति के बच्चे, और,
- पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से निर्भर उस व्यक्ति के माता-पिता, भाई और बहन या उनमें से कोई भी।

विकलांगता पेंशन की छूट सैन्य बलों के विकलांग कर्मचारियों को दी जाती है जो ऐसी सेवाओं के कारण विकलांग रूपी खातों में दर्ज किए गए हैं। [परिपत्र सं. 13/2019, दिनांक 24.06.2019] [Exemption of disability pension granted to disabled personnel of armed forces who have been invalided on account of disability attributable to or aggravated by such service (Circular No. 13/2019, dated 24.06.2019)]

सम्पूर्ण विकलांगता पेंशन, जो कि पेंशन के "विकलांग तत्व" और "सेवा तत्व" के रूप में जल, थल एवं वायु सेना के उन सदस्यों को मंजूर की जाती है जो जल थल एवं वायु सेना जैसी सेवाओं के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग रूपी खातों में दर्ज किए गए, कर मुक्त होंगी।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल (CBDT) ने परिपत्र के तहत स्पष्ट किया कि विकलांग पेंशन के सन्दर्भ में छूट उन सभी सैन्य बल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होंगी जो ऐसी सेवाओं के दौरान शारीरिक विकलांगता के (रैंक चाहे जो हो) शिकार हुए।

हालांकि ऐसी कर छूट केवल उन सैन्य बल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हो जो ऐसी सेवाओं में कार्यरत होने के दौरान शारीरिक विकलांगता के शिकार हुए न कि उन कर्मचारियों को जो सेवा निवृत्त या सेवामुक्त या उसके समकक्ष अन्य कोई है।

2.14. अनुसूचित जनजाति के सदस्य की आय [धारा 10(26)] [Income of Member of a Scheduled Tribe {Section 10(26)}]

अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य जो रहता है :

- (i) संविधान में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में; उत्तरी कैचर हिल्स जिला, कर्बी आंगलोंग जिले, बोडोलैण्ड प्रदेशिक क्षेत्र जिले, खासी हिल्स जिले, जैन्तिआ हिल्स जिले या गारो हिल्स जिले; या
- (ii) मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम तथा नगालैंड राज्यों में; या
- (iii) जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में रहता है,

तो उसको उपार्जित या उदय होने वाली निम्न आय कर से मुक्त होती है :

- (a) उक्त क्षेत्रों या राज्य में किसी स्रोत से।
- (b) प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के माध्यम से।

2.15. सिक्किम व्यक्ति की आय की मुक्ति [धारा 10(26AAA)] [Specified of income of a Sikkimese Individual {Section 10(26AAA)}]

- (i) सिक्किमी व्यक्ति की उपार्जित अथवा उदय निम्न आय की आयकर मुक्ति प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है.
 - (a) सिक्किम राज्य में किसी स्रोत से आय; अथवा
 - (b) लाभांश अथवा प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय।

- (ii) यद्यपि यह मुक्ति एक सिविकमी स्त्री पर लागू नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2008 को अथवा उसके बाद किसी गैर-सिविकम व्यक्ति से विवाह करती है।

उदाहरण (Illustration) 6

“केवल सिविकम राज्य में किसी भी स्रोत से आय के सम्बन्ध, एक सिविकम व्यक्ति को छूट उपलब्ध है।” आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के संदर्भ में शुद्धता की जाँच करें।

हल (Solution)

कथन सत्य नहीं है। धारा 10(26AAA) के तहत सिविकम व्यक्ति को उक्त आय के सम्बन्ध में ही नहीं वल्कि प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के माध्यम से आय के सम्बन्ध में भी छूट उपलब्ध है।

2.16. टी बोर्ड अनुदान [धारा 10(30)] [Tea Board Subsidy {Section 10(30)}]

भारत में चाय के निर्माण तथा उपजाने के व्यवसाय में लगे किसी करदाता द्वारा चाय बोर्ड से या उसके माध्यम से प्राप्त कोई अनुदान की राशि कर से मुक्त है।

शर्तें (Conditions) :

- अनुदान झाड़ियों को फिर से लगाने या प्रतिस्थापन हेतु चाय उगाने के लिए प्रयुक्त किन्हीं क्षेत्रों के पुनः संचरण अथवा समेकन हेतु प्राप्त किया जाये। जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित किया गया है।
- करदाता सम्बद्ध कर-निर्धारण वर्ष की रिटर्न के साथ आयकर कार्यालय में या इस उद्देश्य हेतु कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा बढ़ाये समय के भीतर, लेखांकन वर्ष के दौरान उसके द्वारा अनुदान के सम्बन्ध में टी बोर्ड से लेकर एक प्रमाण पत्र दाखिल करे।

2.17 अन्य अनुदान [धारा 10(31)] [Other subsidies {Section 10(31)}]

एक निर्धारित द्वारा प्राप्त कोई अनुदान की राशि जो भारत में रबड़ कॉफी, इलायची या अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं को भारत में उगाने या निर्माण करने में लगी है, जैसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित हो, पूर्णतः कर से मुक्त होगी।

शर्तें (Conditions) :

- रबड़, कॉफी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड के माध्यम से किसी योजना के तहत कोई वस्तु रबड़, कॉफी, इलायची या अन्य पौधे के प्रतिस्थापन या पुनः लगाने के लिए और कायाकल्प या उन सभी वस्तुओं की खेतों के लिए प्रयुक्त क्षेत्र में कायाकल्प और समेकित करने के लिए प्राप्त अनुदान होना चाहिए।
- कर दाता सम्बन्ध कर निर्धारण वर्ष की विवरणी के साथ आयकर कार्यालय में या इस उद्देश्य हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बढ़ाये समय के भीतर, लेखांकन वर्ष के दौरान उसके द्वारा अनुदान के सम्बन्ध में बोर्ड से लेकर एक प्रमाण पत्र दाखिल करे।

2.18 किसी निर्दिष्ट उपक्रम/निर्दिष्ट कम्पनी/ निर्दिष्ट म्यूचुअल फण्ड के प्रशासक से यूनिटों की आय [धारा 10(35)] [Income from units from the Administrator of specified undertaking specified company/mutual fund {Section 10(35)}]

यह वाक्य व्यवस्था करता है कि किसी निर्दिष्ट उपक्रम/निर्दिष्ट कंपनी/निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड¹ के प्रशासक से यूनिटों की आय करमुक्त होगी। मुक्ति, ऐसी यूनिटों के हस्तांतरण से उत्पन्न आय पर लागू नहीं होगी।

छात्र सावधानीपूर्वक ध्यान रखें कि अभी तक वर्णित धारा 10 के अन्तर्गत सभी मदें पूर्णतया कर से मुक्त हैं और उन्हें सम्बन्धित व्यक्ति की आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

3. विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों के सम्बन्ध में कर अवकाश (धारा 10AA) [Tax Holiday for Units Established in Special Economic Zones (Section 10AA)]

करदाता को उद्यमी के रूप में प्राप्त लाभ पर जो किसी वस्तु या उत्पादों या सेवाओं को प्रदान करने से हो कुल आय में से कटौती प्रदान की जाती है।

(1) छूट के लिये समर्थ करदाता (Assessees who are eligible for exemption)

करदाताओं की सभी श्रेणियाँ जो लाभार्जन करती हैं किसी ऐसे उपक्रम से, जो वस्तुएं उत्पादों या सेवाओं के निर्यात में संलग्न है। करदाता ऐसा उद्यमी होना चाहिए जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(j) के अधीन ऐसा व्यक्ति हो जिसे धारा 15(9) के अधीन विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया हो।

(2) छूट पाने के लिये आवश्यक शर्तें (Essential conditions to claim exemption)

मुक्ति ऐसे उपक्रम को लागू होगी जो निम्नांकित शर्तें पूरी करें :

- (i) यह निर्धारण वर्ष 2006-07 या किसी बाद के कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष के दौरान किसी भी SEZ में उत्पाद या वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करना शुरू कर देता है लेकिन A.Y. 2020-21 के बाद नहीं।
- (ii) इसे पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण से नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि कटौती प्रदान की जाएगी यदि कोई उपक्रम, इकाई होने के नाते, किसी भी उपक्रम के व्यवसाय के निर्धारिती द्वारा पुनःस्थापना या पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार के परिणामस्वरूप बनता है और निर्दिष्ट अवधि के अन्दर धारा 33B में निर्दिष्ट है।

ध्यान दें : परिस्थितियाँ और निर्दिष्ट अवधि धारा 33B में निर्दिष्ट है। उपक्रम इकाई होने के नाते, पिछले वर्ष के अन्त में तीन वर्षों के अन्दर निर्धारिती द्वारा पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, या पुनरुद्धार के रूप में गठित किया जाता है जिसमें इस तरह के उपक्रम के कारोबार को व्यापक, क्षति या नष्ट होने के कारण बन्द कर दिया जाता है, निर्धारिती के स्वामित्व में भवन, मशीनरी संयंत्र या फर्नीचर और ऐसे व्यवसाय के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।

¹ [धारा 10(23D)] में निर्दिष्ट म्यूचुअल फण्ड।

इस तरह की क्षति या विनाश को बाढ़, आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति के अन्य आक्षेप या दंगा या किसी के द्वारा गड़बड़ी या किसी दुश्मन द्वारा आगजनी या विस्फोट या किसी दुश्मन का मुकाबला करने में कार्यवाही के रूप में प्रभावित किया जाना चाहिए।

- (iii) ऐसे किसी नए व्यवसाय के लिए पहले से इस्तेमाल किए गये मशीनरी या संयंत्र के हस्तान्तरण द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि, धारा 10AA के तहत कटौती तब उपलब्ध होगी जब हस्तान्तरित मशीनरी या संयंत्र का कुल मूल्य व्यवसाय में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य का 20% से अधिक ना हो।

इस उद्देश्य के लिए, कोई भी मशीनरी या संयंत्र जो कि कर निर्धारिती के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर उपयोग किया गया था। तो निम्नलिखित शर्तों को पूरा होने पर किसी उद्देश्य के लिए पहले से उपयोग की जाने वाली मशीनरी या संयंत्र के रूप में माना जायेगा :

- (a) ऐसी मशीनरी या संयंत्र जो किसी भी समय भारत में उपयोग नहीं किया जाता था;
- (b) ऐसी मशीनरी या संयंत्र जो भारत के बाहर किसी भी देश से भारत में आयात किया जाता है तथा
- (c) उस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को ह्रास की कटौती नहीं दी गई है।

- (iv) करदाता को अपनी आयकर विवरणी के साथ फार्म निर्धारित सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट संलग्न करनी होगी जो यह प्रमाणित करेगी कि छूट का दावा सही है।

(3) अवधि जिसके लिए छूट उपलब्ध होगी (Period for which deduction is available)

किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में किसी उपक्रम के मामले में जो 1-4-2005 या उसके बाद वस्तु के निर्माण या उत्पादन शुरू करे या सेवायें प्रदान करना शुरू करे उसे छूट निम्नवत् प्राप्त होगी :

- (i) मुक्ति उस गत वर्ष से सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष से प्रारम्भ होकर 5 सतत वर्षों के लिये ऐसी वस्तुओं के निर्यात या प्रदत्त सेवाओं से उपक्रम को प्राप्त लाभों के 100 प्रतिशत तक उपलब्ध होगी, जिस गतवर्ष में ऐसा निर्माण या उत्पादन प्रारम्भ किया गया है या सेवायें प्रदान की गई हैं।
- (ii) तत्पश्चात् अगले सतत् 5 कर निर्धारण वर्षों के लिये लाभों के 50 प्रतिशत तक की मुक्ति मिलेगी।
- (iii) और अगले 5 वर्षों के लिये उस वर्ष के लाभ-हानि खाते से डेबिट किये गये लाभ के 50 प्रतिशत से अधिक न होने वाली राशि की मुक्ति की व्यवस्था की जाती है जिसके सम्बन्ध में कटौती की जानी है तथा एक संचय खाते (जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता संचिति खाता कहा गया है) में क्रेडिट की जाती है। इस संचय को धारा 10 AA(2) में निर्दिष्ट विधि से बनाया तथा काम में लाया जाएगा।

हालांकि, धारा 10AA(1) में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 10AA के तहत कटौती की राशि को इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारिती की कुल आय से दी जायेगी तथा धारा 10AA के तहत कटौती कर निर्धारिती की कुल आय से अधिक नहीं होगी।

उदाहरण : एक उपक्रम 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' में स्थापित होकर 15.10.2005 से निर्माण प्रारम्भ करता है। धारा 10AA के अधीन कटौतियां निम्नानुसार होंगी :

- (a) कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से कर निर्धारण वर्ष 2010-11 तक ऐसे उपक्रम को निर्यात से प्राप्त लाभ का 100 प्रतिशत
- (b) कर निर्धारण वर्ष 2011-12 से कर निर्धारण वर्ष 2015-16 तक ऐसे उपक्रम के 50 प्रतिशत लाभ तक
- (c) निश्चित शर्तों को पूरा किए जाने पर कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से कर निर्धारण वर्ष 2020-21 तक ऐसे उपक्रम के 50 प्रतिशत लाभ तक।

- (4) **दस वर्ष के अतिरिक्त 5 वर्षों तक छूट प्राप्त करने के लिये शर्तें** (Conditions to be satisfied for claiming deduction for further 5 years (after 10 years) [धारा 10AA(2)] :

उपधारा (2) इस बात का प्रावधान करती है कि धारा 3(iii) में वर्णित छूट तभी मिलेगी जब निम्नांकित शर्तें पूरी की जाएँ :

- (a) विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनः निवेश भत्ता संचिति खाते में क्रेडिट राशि को काम में लाया जाए;
 - (i) ऐसी नयी मशीनों तथा संयंत्रों के अधिग्रहण के उद्देश्यों हेतु, जिनको उस गत वर्ष से 3 वर्षों के अन्दर पहली बार काम में लाया जाता है जिसमें संचिति को बनाया गया था; और
 - (ii) मशीनों या संयंत्रों के अधिग्रहण होने तक राशि को व्यवसाय के उद्देश्यों के लिये ही काम में लाया जा सकता है तथापि इसका उपयोग निम्नांकित के लिए नहीं होना चाहिए :
 - (a) लाभांश या लाभ के वितरण द्वारा; या
 - (b) लाभ के रूप में भारत के बाहर प्रेषण; या
 - (c) भारत के बाहर किसी सम्पत्ति के सृजन के लिए।
- (b) विवरण, जैसा कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल द्वारा इसके आधार पर कहा जा सकता है, करदाता द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के संदर्भ में संलग्न किये जा चुके हैं। ऐसे विवरण नई प्लांट/मशीनरी की जानकारी, नई प्लांट/मशीनरी के आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता, अर्जित करने की दिनांक एवं सर्वप्रथम बार नई प्लांट/मशीनरी के प्रयोग की दिनांक को शामिल करते हैं। ऐसे विवरणों को गत वर्ष के संदर्भ में, जिसमें ऐसे प्लांट/मशीनरी का प्रथम बार प्रयोग किया गया, निर्धारण वर्ष के लिए आय वापसी के साथ संलग्न करना होता है।

- (5) संचय के गलत उपयोग/अनुपयोग के दुष्परिणाम (धारा 10AA(3)[Consequences of mis-utilisation/non-utilisation of reserve) [Section 10AA(3)]
- (a) यदि संचिति खाते में क्रेडिट राशि को उपधारा (2) में वर्णित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग किया गया है तो इस प्रकार काम में लाई गई राशि उस वर्ष के लाभ के रूप में समझी जाएगी जिसमें राशि को ऐसे प्रयुक्त किया गया है और तदनुसार करयोग्य होगी।
- (b) जहाँ राशि उस गतवर्ष से 3 वर्ष बीतने से पूर्व प्रयोग में नहीं लाई गई है, जिसमें संचय बनाया गया था, तो इस प्रकार अप्रयुक्त राशि उक्त 3 वर्षों के तुरन्त बाद आने वाले वर्ष में लाभ मानी जाएगी तथा तदनुसार करयोग्य होगी। [उपधारा (3)]
- (6) ऐसे उपक्रमों के निर्यातों से लाभों की गणना (Computation of profit and gains from exports of such undertakings)

वस्तुओं या चीजों या सेवाओं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित के निर्यात से अर्जित लाभ वह राशि होगी जिसका व्यवसाय के लाभों से वही अनुपात हो जो ऐसी वस्तुओं, उत्पादों या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में निर्यात-आवर्त व्यवसाय के कुल आवर्त से हो; अर्थात्

$$\text{इकाई के रूप में उपक्रम लाभ} \times \frac{\text{उपक्रम की ऐसी वस्तुओं या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात आवर्त}}{\text{करदाता के व्यवसाय का कुल आवर्त}}$$

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से सम्बन्धित मामलों पर स्पष्टीकरण (Clarification on issues relating to export of computer software)

धारा 10 AA उस निर्धारिती को कटौती देती है जो उस वर्ष से जिसमें इकाई ने उत्पादन शुरू किया या ऐसी वस्तुओं या माल या सेवाओं को प्रदान किया जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट, सीमाओं के निर्वाह के तहत वस्तुओं या मालों या सेवाओं (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को सम्मिलित करते हुए) के निर्यात से कोई लाभ या मुनाफा प्राप्त करता है। भारत से बाहर कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (सॉफ्टवेयर के विकास हेतु सेवाओं को सम्मिलित करते हुए) के साइट विकास से प्राप्त लाभ तथा मुनाफा को भारत से बाहर कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त लाभ तथा मुनाफा माना जायेगा।

निर्यात कुल बिक्री का आशय (Meaning of export turnover) : इसका अर्थ है कि सामग्री, वस्तुएं या सेवाओं की इकाई होने के द्वारा निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारिती द्वारा भारत में प्राप्त या खरीदा गया प्रतिफल।

हालांकि, इसमें शामिल नहीं है

- भाड़ा
- दूरसंचार शुल्क
- बीमा

भारत के बाहर सामग्री या वस्तुओं की सुपुर्दगी के कारण या

भारत के बाहर सेवाओं (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) के प्रतिपादन में विदेशी विनिमय में होने वाला व्यय।

सम्पूर्ण आवर्त से भाड़ा की कटौती, दूरसंचार शुल्क एवं अन्य व्ययों से सम्बन्धित मुद्दों पर स्पष्टीकरण (परिपत्र सं. 4/2018 दिनांक 14.08.2018) [Clarification on issues relating to deduction of freight, telecommunication charges and other expenses from total turnover (Circular No. 4/2018, dated 14/08/2018)]

निर्यात आवर्त (Export Turnover) भारत के बाहर वस्तुओं एवं सामग्री के वितरण में फलस्वरूप होने वाले बीमा या भाड़ा या दूरसंचार शुल्क के साथ-साथ या व्ययों, यदि कोई हो, जो भारत के बाहर सेवाओं (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को शामिल करते हुए) के प्रतिपादन में होने वाले विदेशी विनिमय, को शामिल नहीं करता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल (CBDT), इस सूचना द्वारा स्पष्ट किया कि भाड़ा, दूरसंचार शुल्क एवं बीमा व्ययों को निर्यात आवर्त एवं कुल आवर्त से अलग रखा जायेगा जबकि धारा 10AA के अन्तर्गत आने वाली कटौतियों को भारत के बाहर वस्तु एवं सामग्री के वितरण के फलस्वरूप सीमा तक कार्य में शामिल किया गया है।

इसी प्रकार, भारत के बाहर सेवाओं के प्रतिपादन में लिए विदेशी विनिमय में होने वाले व्ययों को निर्यात आवर्त और कुल आवर्त दोनों से बाहर रखा जायेगा जबकि धारा 10AA के अन्तर्गत कटौतियों की गणना की जायेगी।

(7) EPZ/FTZ का SEZ में परिवर्तन (Conversion of EPZ/FTZ into SEZ) :

पूर्ववर्ती धारा 10A के प्रावधान, SEZ अधिनियम 2005 के धारा 2(zc) के अन्तर्गत सन्दर्भित इकाई के किसी उपक्रम पर लागू नहीं होगा जो गत वर्ष के दौरान शुरू किए गए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर या वस्तु या सामग्री के उत्पादन या निर्माण के संदर्भ में किसी भी SEZ में 01.04.2006 को या उसके बाद शुरू किया गया हो। ऐसे मामलों में, उपक्रम होने के नाते इकाई धारा के तहत केवल 10 वर्ष की अनपेक्षित के लिए कटौती की हकदार होगी उसके बाद यह आय से कटौती योग्य होगा जैसा बिन्दु 3(iii) में ऊपर बताया गया है।

SEZ अधिनियम 2005 के धारा 2(zc) के अनुसार "इकाई" से तात्पर्य एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक उद्यमी द्वारा बनाई गई इकाई संरचना से है जिसमें मौजूदा इकाई, एक अपतटीय बैंकिंग इकाई और एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में एक इकाई, चाहे इस अधिनियम के पहले स्थापित हुई हो या बाद में, को शामिल करती है।

हालांकि, जहां एक इकाई प्रारम्भ में FTZ या EPZ में स्थित थी बाद में SEZ में FTZ या EPZ जैसे क्षेत्रों का परिवर्तन होने के कारण वह SEZ में ही स्थित होगा, ऊपर दिए गए 10 वर्षों के लगातार निर्धारण वर्ष अन्तराल को गत वर्षों के निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई ने FTZ या EPZ जैसे क्षेत्रों में निर्माण, उत्पादन या ऐसी सामग्री तथा वस्तुओं की सेवाएँ शुरू कीं, के रूप में माना जाएगा।

आगे, जहां एक इकाई प्रारम्भ में FTZ या EPZ में स्थित थी, बाद में वह ऐसे FTZ या EPZ का SEZ में परिवर्तन होने के कारण, SEZ में ही स्थित होगी एवं जो पहले से ही 10 वर्षों के लगातार निर्धारण वर्ष के अन्तराल को पूरा कर चुकी है, यह निर्धारण वर्ष 2006-07 के प्रभाव के साथ आय से किसी अन्य कटौती के लिए योग्य नहीं होगी।

(8) अन्य कर लाभ पर प्रतिबन्ध (Restriction on other tax benefits) :

- (i) धारा 71(1) के तहत व्यावसायिक हानि या धारा 74(1) के तहत "पूँजीगत लाभ" शीर्षक में हानि, ऐसी हानि है जो उपक्रम के व्यवसाय से सम्बन्धित है, आगे ले जाने और पूर्ति करने के लिए स्वीकृत होगी।
- (ii) इस धारा के अन्तर्गत कटौती का दावा पेश करने के लिये करदाता को निर्दिष्ट प्रारूप में एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से रिपोर्ट लेकर रिटर्न के साथ संलग्न करनी होगी। रिपोर्ट यह प्रमाणित करेगी कि कटौती ठीक है।
- (iii) कटौती की अवधि के दौरान ह्रास के संबंध में यह माना जाएगा कि सम्पत्तियों पर ह्रास लगाया जा चुका है और ह्रासित राशि तदनुसार घट जाएगी।
- (iv) उपक्रम के लाभों के संबंध में धारा 80-IA और IB² के अधीन कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी।
- (v) जहाँ पर पात्र व्यापार के लिये रखी हुई वस्तु या सेवाओं का स्थानान्तरण करदाता द्वारा चलाये जा रहे किसी अन्य व्यापार को किया जाता है या फिर किसी अन्य व्यापार से पात्र व्यापार में हस्तान्तरित किया जाता है (जैसा भी मामला हो) और इसके लिये प्रयुक्त प्रतिफल बाजार मूल्य से मेल नहीं खाता है तब कटौती के लिये पात्र लाभ की गणना हस्तान्तरण की तारीख पर उस वस्तु या सेवा के बाजार मूल्य के आधार पर होगी। इस सम्बन्ध में किसी विशेष समस्या के निराकरण हेतु लाभ की गणना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक व्यावहारिक तरीके से की जाएगी जैसा वह उचित समझे। यदि कर निर्धारण अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि करदाता और अन्य व्यक्ति के बीच निकट सम्बन्ध के कारण से या किसी अन्य कारण से पात्र व्यापार का लाभ सामान्य लाभ से ज्यादा बनाया गया है, तो कर निर्धारण अधिकारी कटौती की राशि का निर्धारण करते समय लाभ की गणना एक उचित आधार पर कर सकता है।
- (vi) यदि इस धारा के अधीन कटौती का दावा एवं स्वीकृति ऐसे किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के सम्बन्ध में है जो निवेश आधारित कटौती के लिए धारा 35AD के अधीन पात्र है, ऐसे निर्दिष्ट व्यवसाय को धारा 35AD के अधीन उसी अथवा अन्य किसी निर्धारण वर्ष में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

(9) संविलयन और अविलयन पर मान्य कटौती (Deduction allowable in case of amalgamation and demerger) :

यदि ऐसा संस्थान (जो इकाई है) और जो कटौती पाने का अधिकारी है इस धारा में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व दूसरे संस्थान को संविलयन और अविलयन योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरित होती है तो :

- (a) उस वर्ष के लिये जिसमें संविलयित/अविलयित होता है संविलयित/अविलयित हुई इकाई को इस धारा के अन्तर्गत कोई कटौती मान्य न होगी।

² [धारा 80-IA और 80-IB] के अनुसार कटौती को अंतिम स्तर पर समझाया जाएगा।

- (b) इस धारा के प्रावधान संविलयित या परिणामतः इकाई पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि संविलयित या डिमर्जर हुई इकाई पर लागू होते यदि संविलयन/अविलयन न हुआ होता।

उदाहरण (Illustration) 7

Y. लि. 31.03.2020 को खत्म किए गये वर्ष के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है :

विवरण	₹ (लाख में)
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित इकाई की कुल बिक्री	100
इकाई A के व्यापार का लाभ	30
इकाई A की निर्यात बिक्री	50
घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित इकाई B की कुल बिक्री	200
इकाई B के व्यवसाय का लाभ	20

निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए धारा 10AA के तहत कटौती की गणना कीजिए। यह मानते हुए कि वर्ष 2016-2017 में (SEZ) और (DTA) में Y लिमिटेड ने परिचालन शुरू किया।

हल (Solution)

उत्पाद या वस्तु या सेवा के निर्यात से उत्पन्न लाभ का 100% धारा 10 AA के तहत कटौती के लिए योग्य होता है। मान लीजिए कि वित्तीय वर्ष 2019-20 पहले पाँच वर्ष की अवधि के भीतर आता है जिसमें उत्पादन या निर्माण के वर्ष से वस्तुओं या उत्पादों या सेवाओं का प्रावधान SEZ इकाई द्वारा होता है। धारा 10AA (7) के अनुसार, उत्पादों या वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात से प्राप्त लाभ, इकाई होने के नाते, उस उपक्रम के व्यवसाय से लाभ के लिए की जाने वाली राशि होगी, उत्पादों या वस्तुओं या सेवाओं के सम्बन्ध में निर्यात कारोबार के रूप में समान अनुपात उपक्रम द्वारा किये गये व्यापार के कुल बिक्री में होता है।

धारा 10AA के तहत कटौती

$$\begin{aligned}
 &= \text{इकाई A के व्यापार का लाभ} \times \frac{\text{इकाई A की निर्यात बिक्री}}{\text{इकाई A की कुल बिक्री}} \\
 &= ₹ 30 \text{ lakh} \times \frac{50}{100} \\
 &= ₹ 15 \text{ lakh}
 \end{aligned}$$

नोट : DTA में स्थित इकाई B के व्यवसाय के लाभ के सम्बन्ध में धारा 10AA के अनुसार कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है।

4. खर्चों की छूट के संबंध में सीमा (धारा 14A) [Restrictions on Allowability of expenditure (Section 14A)]

धारा 14A के अनुसार आय के सभी पाँच शीर्षकों में कर मुक्त आय के संबंध में किये गये खर्च स्वीकृत नहीं किये जाते। [उपधारा (1)]

कर निर्धारण अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्वयं निर्धारित की गयी पद्धतियों के आधार पर उन खर्चों की राशि निर्धारित कर सके जो उन आय के सम्बन्ध में किये गये हों जो कुल आय का भाग नहीं है। [उपधारा (2)]

धारा 14A के अन्तर्गत खर्चों को अस्वीकृत करने की पद्धतियों का निर्धारण केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकार में है। करदाता के खातों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी निर्धारित पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है :

- (i) निर्धारिती के खातों के सम्बन्ध में, यदि वह निर्धारिती के दावों की शुद्धता से संतुष्ट नहीं होता है। (उपधारा 2); या
- (ii) जहाँ एक निर्धारिती दावा करता है कि आय के सम्बन्ध में उसके द्वारा कोई व्यय नहीं हुआ है, जो कुल आय का हिस्सा नहीं है। (उपधारा-3)

नियम 8D के अन्तर्गत कुल आय में शामिल न होने वाली आय से संबंधित व्ययों के निर्धारण की पद्धतियों का वर्णन है।

यदि कर निर्धारण अधिकारी करदाता के गतवर्ष के खातों को ध्यान में रखकर, संतुष्ट नहीं है—

- (a) करदाता द्वारा व्ययों के दावे की शुद्धता; अथवा
- (b) करदाता द्वारा किया गया दावा कि इस गत वर्ष के लिए मुक्त आय के संबंध में कोई व्यय नहीं किया गया है।

तो वह आगे दी गयी पद्धति के अनुसार ऐसी आय से संबंधित व्यय की राशि का निर्धारण करेंगे—

कुल आय का भाग न बनने वाली आय से संबंधित व्यय निम्नांकित का योग होगा;

- (i) कुल आय का भाग न बनने वाली आय में सीधे रूप से संबंधित व्ययों की राशि;
- (ii) निवेश के मूल्य के प्रारम्भिक और अन्तिम रहतिया के मासिक के वार्षिक और के 1% के बराबर राशि, आय जो कुल आय का हिस्सा नहीं होगी।

हालांकि खण्ड (i) और खण्ड (ii) में सन्दर्भित राशि निर्धारिती द्वारा दावा किये गये कुल व्यय से अधिक नहीं होनी चाहिए।

धारा 14A के अधीन व्ययों की अस्वीकृति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण यदि तत्सम्बन्धी कर मुक्त आय वित्त वर्ष के दौरान अर्जित नहीं है। (परिपत्र सं. 5/2014 दिनांक 11.02.2014)
 [Clarification regarding disallowance of expenses under section 14A in cases where corresponding exempt income has not been earned during the financial year (Circular No. 5/2014, dated 11.2.2014)]

धारा 14A के प्रावधान के अनुसार ऐसे किसी व्यय के सम्बन्ध में कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी, जिसका सम्बन्ध ऐसी किसी आय से है जो कुल आय का भाग नहीं है। एक विवाद इस सम्बन्ध में उदय हुआ है कि क्या अस्वीकृति धारा 14A का ऐसे मामलों में लागू करके की जा सकती है। जहाँ करदाता द्वारा कोई आय उपार्जित नहीं की गयी है, जिसको वित्त वर्ष के दौरान कर मुक्त होने का दावा किया गया है।

CBDT ने इस परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि विधान का अभिप्राय केवल ऐसे व्ययों को स्वीकृत करना है, जो आय के उपार्जन से सम्बन्धित हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे व्यय जो करमुक्त आय के अर्जन से सम्बन्धित हैं, उन्हें अस्वीकृति के लिए विचार करना चाहिए। भले ही ऐसी आय गत वर्ष में अर्जित हुई है अथवा नहीं हुई है।

उपर्युक्त स्थिति का स्पष्टीकरण धारा 14A के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द “शामिल होने योग्य” के कारण है। ऐसी आय के सम्बन्ध में किए गए व्यय जो कुल आय में शामिल होने योग्य नहीं हैं और नियम 8D (ऐसे व्ययों की राशि के निर्धारण विधि, जिनका सम्बन्ध ऐसी आय से है जो कुल आय में शामिल होने योग्य नहीं है) इससे यह स्पष्ट होता है, कि यह आवश्यक नहीं है कि करमुक्त आय किसी वर्ष की आय में जोड़ी ही जाए, तभी अस्वीकृति की जा सकती है। साथ ही धारा 14A में प्रयुक्त शब्दावली “अधिनियम के अधीन आय” है न कि “वर्ष की आय”, जो पुनः इंगित करती है कि यह आवश्यक नहीं है कि करदाता द्वारा ऐसी आय विचाराधीन वित्त वर्ष में अर्जित की जानी चाहिए।

वास्तव में धारा 14A को नियम 8D के साथ पढ़ने पर ज्ञात होता है कि ऐसे व्ययों की अस्वीकृति है, भले ही, करदाता द्वारा ऐसी करमुक्त आय किसी विशेष वर्ष में अर्जित नहीं की हो।

**अभ्यास
(EXERCISE)**

प्रश्न (Question) 1

कारण सहित उत्तर दीजिये क्या निम्नांकित आय कराधीन है और कर की राशि क्या है :

- (i) अरविन्द को ₹20,000 अपनी आय के भाग के रूप में HUF से प्राप्त हुए।
- (ii) मि. ऐक्सवियर, परमवीर चक्र विजेता जो पूर्व में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यकृत थे को वित्त वर्ष 2019-20 में ₹2,20,000 पेंशन के रूप में प्राप्त हुए।
- (iii) मलेशिया स्थित कृषि भूमि से भारत में निवासी की कृषि आय ₹ 1,27,000।
- (iv) फिल्म की शूटिंग के लिये कृषि भूमि को किराये पर देने से प्राप्त किराया ₹72,000

हल (Answer)

क्र. सं.	करयोग्य / गैर करयोग्य	करयोग्य राशि	कारण
(i)	गैर-करयोग्य	—	HUF से प्राप्त सदस्य को आय का भाग धारा 10(2) के अधीन कर मुक्त है।
(ii)	गैर-करयोग्य	—	परमवीर चक्र विजेता द्वारा प्राप्त पेंशन जो पूर्व में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यकृत थे धारा 10(18) के अधीन करमुक्त है।
(iii)	करयोग्य	₹ 1,27,000	विदेश स्थित कृषि भूमि से आय करयोग्य है, यदि निवासी करदाता है, ऐसी आय अन्य साधनों से आय

			के रूप में करयोग्य होगी। ऐसी आय के लिये धारा 10(1) के अधीन विमुक्ति उपलब्ध नहीं है।
(iv)	करयोग्य	₹ 72,000	धारा 10(1) के अनुसार कृषि आय करमुक्त है। कृषि आय के आशय में, अन्य बातों के साथ, भारत स्थित कृषि भूमि से कोई किराया अथवा आय जो कृषि उद्देश्य के लिये प्रयोग करने पर प्राप्त है, करमुक्त होती है। प्रश्नगत मामले में कृषि भूमि से किराया कृषि भूमि के फिल्म शूटिंग के लिये प्रयोग करने पर प्राप्त हुआ है जो कि कृषि उद्देश्य नहीं है। वास्तव में भूमि का कृषि प्रयोग हुआ ही नहीं है। अतः ₹ 72,000 कृषि भूमि से प्राप्त किराया फिल्म की शूटिंग के लिये प्रयोग के कारण है जो कि धारा 10(1) में विमुक्ति नहीं है। "अन्य साधनों से आय" शीर्षक के अधीन करयोग्य है।

प्रश्न (Question) 2

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कृषि आय पर करदेयता की विवेचना कीजिये। यदि किसी व्यक्ति को कृषि एवं गैर-कृषि दोनों प्रकार की आय प्राप्त होती है, तब आय की गणना किस प्रकार की जायेगी?

हल (Solution)

धारा 10(1) के अधीन कृषि आय करमुक्त है। तथापि, कृषि आय एवं गैर-कृषि आय का समेकन किया जाता है जिससे कि ऐसी दर का निर्धारण किया जा सके जिससे गैर-कृषि आय पर करारोपण हो। यदि कृषि आय ₹ 5,000 से अधिक नहीं है और करदाता की गैर-कृषि आय प्राथमिक विमुक्ति सीमा से अधिक नहीं है, तब ऐसे समेकन की कोई आवश्यकता नहीं है।

आगे ऐसे एकत्रीकरण केवल सम्पूर्ण होने हैं यदि कर दाता एक अकेला व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, AOP, BOI या एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है जैसा कि वित्त अधिनियम में इन करदाताओं के लिए आय के खण्ड दरों को बताया गया है।

अन्य करदाताओं के मामले में जैसे साझेदारी संस्था, कम्पनी इत्यादि जिनकी आय एक स्थिर दर पर कर योग्य है, कृषि आय के एकत्रीकरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

चूंकि प्रश्न का दूसरा भाग ऐसी स्थिति में आय की गणना की अपेक्षा करता है जब कोई व्यक्ति कृषि आय एवं गैर-कृषि आय अर्जित करता है। इसका उत्तर आयकर नियमावली, 1962 के नियम 7A, 7B एवं 8 के आधार पर दिया जा सकता है जो आय के समेकन से सम्बन्धित है।

नियम	विवरण	व्यवसाय की आय	कृषि से आय
नियम 7A	भारत में रबर उत्पादन से आय	35%	65%
नियम 7B	काफी निर्माण से आय :		

	• विक्रेता द्वारा भारत में उगाई एवं उपचारित	25%	75%
	• भारत में विक्रेता द्वारा उगाई गयी, उपचारित, भूनी गयी एवं पीसी गयी	40%	60%
नियम 8	चाय निर्माण से आय	40%	60%

तत्पश्चात् कृषि आय एवं गैर-कृषि आय को समेकित करके, निम्नांकित रूप में आयकर की गणना की जायेगी :

- (1) कृषि आय एवं गैर-कृषि आय का समेकन करके, देय आयकर राशि की गणना करना।
- (2) निर्धारित की मूल छूट सीमा के साथ कृषि आय का योग अर्थात् ₹ 2,50,000/₹ 3,00,000/₹ 5,00,000 जैसा भी मामला है और उस राशि पर कर का निर्धारण।
- (3) उपर्युक्त (1) में संगणित आयकर में से (2) में संगणित आयकर घटाकर अन्तर ज्ञात कीजिये, जो गैर-कृषि आय पर कर होगा।
- (4) चरण 3 में मूल्यांकित देय कर अधिशुल्क (यदि लागू है) बढ़ेगी और धारा 87A के तहत छूट द्वारा घटेगी, यदि कुल आय ₹ 5 लाख से अधिक नहीं होती है। उसके बाद, 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर कुल कर दायित्व के मूल्यांकन में जोड़ दिया जाएगा।

प्रश्न (Question) 3

किसी नर्सरी में बीजारोपण एवं पौधारोपण से सम्बन्धित गतिविधियों से अर्जित आय के सम्बन्ध में करदेयता प्रावधानों को समझाइए।

उत्तर (Solution)

धारा 2(1A) के स्पष्टीकरण सं. 3 के अनुसार किसी नर्सरी में पौधारोपण एवं बीजारोपण क्रियाओं से होने वाली आय कृषि आय मानी जाती है एवं करारोपण से मुक्त होती है, भले ही कृषि कार्य सम्बन्धी मूल क्रियाएँ की गयी हों अथवा नहीं की गयी हों।

प्रश्न (Question) 4

आयकर अधिनियम, 1961 प्रावधानों के अनुसार कारण सहित बताइये कि निम्नांकित वक्तव्य सत्य/असत्य हैं :

- (i) सिविकम निवासी व्यक्ति को सिविकम में किसी स्रोत से अर्जित आय ही करमुक्त है।
- (ii) वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो पूर्व में केन्द्र सरकार का कर्मचारी या उसको मिलने वाली पेंशन आयकर से मुक्त होती है।
- (iii) श्री A जो HUF के सदस्य हैं जिन्हें HUF की आय के भाग के रूप में ₹ 10,000 की राशि प्राप्त की है। यह उनकी करयोग्य आय में शामिल की जायेगी।

उत्तर (Answer)

- (i) असत्य (False) : धारा 10(26AAA) के अन्तर्गत एक सिविकम नागरिक को न केवल प्रश्नगत आय के सम्बन्ध में वरन् प्रतिभूतियों से ब्याज एवं लाभांश की आय से करमुक्ति प्राप्त है।

- (ii) **सत्य (True)** : धारा 10(18) एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त पेंशन के किसी भी तरीके से होने वाली आय में छूट देता है जो केन्द्रीय सरकार की सेवा में, और परमवीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र या ऐसे अन्य वीरता पुरस्कारों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके द्वारा निर्धारित किए गए आधिकारिक पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया हो।
- (iii) **असत्य (False)** : धारा 10(2) के अनुसार HUF के किसी सदस्य को HUF की आय से कोई भाग भुगतान प्राप्तकर्ता के लिए करमुक्त होता है। अतः ₹ 10,000 A की करयोग्य आय में नहीं जोड़े जायेंगे।

प्रश्न (Question) 5

रुद्र लि. की एक इकाई SEZ में स्थित है और दूसरी DTA में। वित्त वर्ष 2019-20 के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध हैं :

	रुद्र लिमिटेड (₹)	DTA स्थित इकाई (₹)
कुल विक्रय	6,00,00,000	2,00,00,000
निर्यात विक्रय	4,60,00,000	1,60,00,000
शुद्ध लाभ	80,00,000	20,00,000

धारा 10AA के अधीन पात्र कटौती की गणना A.Y. 2020-21 के लिए निम्नांकित स्थितियों में कीजिए :

- (i) दोनों ही उपक्रमों की स्थापना एवं निर्माण का प्रारम्भ 22.05.2012 से हुआ है।
- (ii) दोनों ही उपक्रमों की स्थापना एवं निर्माण का प्रारम्भ 14.05.2016 तक हुआ है।

उत्तर (Answer)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के अन्तर्गत कटौती की गणना (Computation of deduction under section 10AA of the Income-tax Act, 1961)

धारा 10AA के अनुसार रुद्र लिमिटेड की कुल आय की इसकी इकाई से गणना करने में जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित है, जो सामग्री या वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन की शुरुआत करता है या गत वर्ष के दौरान सेवाएँ प्रदान करता है व जो 01.04.2006 का या उसके बाद लेकिन 01 अप्रैल, 2021 से पहले शुरू हुए निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित होता है, ऐसी सामग्री या वस्तु या सेवाओं के निर्यात से गत वर्ष से सम्बन्धित मूल्यांकन वर्ष के शुरु के पांच लगातार निर्धारण वर्षों के लिए प्राप्त लाभ या आय का 100% कटौती के लिए स्वीकृत होगा जिसमें इकाई ऐसी सामग्री एवं वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन या सेवाएँ प्रदान करने की शुरुआत करता है, मामला जैसा भी हो, और ऐसे लाभ का 50% आगे के पांच वर्षों के लिए होता है।

धारा 10AA के तहत योग्य कटौती की गणना (नीचे कार्य नोट देखें) [Computation of eligible deduction under section 10AA (See Working Note below)] :

- (i) यदि इकाई SEZ में स्थापित की गई एवं 22-05-2012 से निर्माण शुरू किया (If Unit in SEZ was set up and began manufacturing from 22-05-2012) : जैसा कि मूल्यांकन वर्ष 2020-21, मूल्यांकन वर्ष 2013-14 जो गत वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित है, से

8वाँ मूल्यांकन वर्ष है, जिसमें SEZ इकाई ने सामग्री तथा वस्तुओं का निर्माण शुरू किया। यह ऐसे सामग्री या वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त लाभ के 50% कटौती के लिए यह मानते हुए योग्य होगा कि धारा 10AA में दर्शायी गई अन्य सभी शर्तों को पूरा कर दिया गया है।

$$= \text{SEZ में इकाई का लाभ} \times \frac{\text{SEZ में इकाई का निर्यात आवर्त}}{\text{SEZ में इकाई का कुल आवर्त}} \times 50\%$$

$$= 60 \text{ लाख} \times \frac{300 \text{ लाख}}{400 \text{ लाख}} \times 50\% = ₹ 22.50 \text{ लाख}$$

- (ii) यदि इकाई SEZ में स्थापित की गई एवं निर्माण 14-05-2016 से शुरू किया (If Unit in SEZ was set up and began manufacturing from 14-05-2016) : जैसा कि मूल्यांकन वर्ष 2020-21, निर्धारण वर्ष 2017-18, जो गत वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित है, के लिए 4वां मूल्यांकन वर्ष है जिसमें SEZ इकाई ने सामग्री एवं वस्तुओं का निर्माण शुरू किया, यह ऐसे सामग्री या वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त लाभ के 100% कटौती के लिए यह मानते हुए योग्य होगा कि अन्य सभी शर्तें जो धारा 10AA में बतायी गई हैं, पूरी कर दी गई हैं।

$$= \text{SEZ में इकाई का लाभ} \times \frac{\text{SEZ में इकाई का निर्यात आवर्त}}{\text{SEZ में इकाई का कुल आवर्त}} \times 100\%$$

$$= 60 \text{ लाख} \times \frac{300 \text{ लाख}}{400 \text{ लाख}} \times 100 = ₹ 45 \text{ लाख}$$

इकाई, जो देशी शुल्क क्षेत्र में स्थापित हैं, धारा 10AA के तहत इसके निर्यात लाभों के सन्दर्भ में, दोनों परिस्थितियों में कटौती के फायदे उठाने के योग्य नहीं है।

टिप्पणी (Working Note)

SEZ में इकाई के शुद्ध लाभ, कुल बिक्री और निर्यात बिक्री की गणना

विवरण	रुद्र लि. (₹)	DTA में इकाई (₹)	SEZ में इकाई (₹)
कुल बिक्री	6,00,00,000	2,00,00,000	4,00,00,000
निर्यात बिक्री	4,60,00,000	1,60,00,000	3,00,00,000
शुद्ध लाभ	80,00,000	20,00,000	60,00,000

हम पुनः दोहराएंगे
(LET US RECAPITULATE)

धारा	मुक्त आय की विवरण
10(1)	<p>धारा 10(1) के तहत कृषि आय मुक्त होगी।</p> <p>इस प्रकार, व्यक्ति, HUF, AOP और BOI आदि के मामले में, कृषि आय को गैर कृषि आय के साथ जोड़ा जाएगा जिस दर के निर्धारण के लिए गैर कृषि आय पर के अनुसार होगा, जहाँ</p> <ul style="list-style-type: none"> • कृषि आय ₹ 5,000 p.a. से अधिक होगी और • गैर कृषि आय मूल छूट सीमा से अधिक है। <p>मूल छूट सीमा की गणना करने में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं—</p> <p>चरण-1 : गैर कृषि आय पर कृषि आय सहित कर</p> <p>चरण-2 : कृषि आय पर मूल छूट सीमा सहित कृषि</p> <p>चरण-3 : निर्धारिती द्वारा देय कर = चरण 1-चरण 2</p> <p>चरण-4 : जोड़ें सरचार्ज/धारा 87A के तहत घटाएँ छूट, आदि लागू हो</p> <p>चरण-5 : जोड़ शिक्षा उपकर तथा स्वास्थ्य उपकर @ 4%</p>
10 (2)	चूँकि उसकी आय के सम्बन्ध में HUF करित होती है, अंश आय सदस्य के हाथ में कर मुक्त होगी।
10 (2A)	फर्म या LLP की कुल आय में साझेदार का भाग कर से मुक्त होगा।
10(4)	गैर निवासी (बाह्य) खाते (NRA/c) में उसकी जमा राशि पर ब्याज के रूप में देय आय, व्यक्ति के हाथों में कर मुक्त होगी, FEMA 1999 के अनुसार भारत के बाहर निवासी व्यक्ति होने के नाते, या एक व्यक्ति के हाथों में जिसे RBI द्वारा वह खाता बनाए रखने की अनुमति दी गयी है।
10(6)	<p>दूतावास, उच्च आयोग, विरासत, वाणिज्य या किसी विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व इनमें से किसी भी अधिकारी के रूप में या इन अधिकारियों में से किसी के स्टाफ के सदस्य के रूप में सेवाओं के लिए व्यक्ति (जो भारत का नागरिक नहीं है)।</p> <p>कुछ शर्तों की सन्तुष्टी के अधीन :</p> <p>(i) स्टाफ के ऐसे सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे स्टाफ के सदस्य की तुलना में भारत में किसी भी व्यवसाय या पेशे या रोजगार में संलग्न नहीं है।</p> <p>(ii) समान उद्देश्यों के लिए निवासी सरकारी अधिकारियों जो पारिश्रमिक का दूसरे देश में समान छूट का आनन्द लेते हैं।</p>

10 (6D)	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) द्वारा भारत में या उसके बाहर प्रस्तुत तकनीकी सेवाओं से रॉयल्टी और फीस के माध्यम से गैर-कोर्पोरेट, गैर-निवासी और विदेशी कम्पनियों को होने वाली आय कर मुक्त है।
10 (10BB)	भोपाल गैस पीड़ित को भुगतान कर मुक्त होता है।
10 (10BC)	किसी भी आपदा के कारण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त मुआवजा मुक्त होता है, अगर यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है।
10(11A)	सुकन्या समृद्धि खाते से कोई भुगतान
10 (16)	शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी गयी छात्रवृत्ति का मूल्य प्राप्त कर्ता के हाथ में कर से मुक्त होगा, चाहे छात्रवृत्ति और राशि का स्रोत कुछ भी हो।
10(17)	संसद के किसी भी सदस्य या राज्य विधायिका या उसकी किसी भी समिति द्वारा प्राप्त दैनिक भत्ता मुक्त होता है।
10(17A)	साहित्य वैज्ञानिक और कलात्मक कार्य के लिए पुरस्कार और सरकार द्वारा अन्य पुरस्कार मुक्त होता है।
10(18)	जिस व्यक्ति को "परमवीर चक्र" या "महावीर चक्र" या "वीर चक्र" वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उसे प्राप्त होने वाली पेंशन को कर से मुक्ति दी गयी है।
10(26)	निर्दिष्ट क्षेत्र या राज्य को किसी भी स्रोत से आय, जिसमें अनुसूचित जनजाति का सदस्य लाभांश के द्वारा आय पर निर्णय या प्रतिभूतियों पर ब्याज का निर्धारण करता है, अनुसूचित जाति के सदस्य के हाथों में छूट दी जाती है।
10(26AAA)	सिक्किम लाभांश आय और प्रतिभूतियों पर ब्याज की स्थिति में किसी भी स्रोत से आय एक सिक्किम के व्यक्ति के हाथों में मुक्त होती है। यह छूट एक सिक्किम महिला पर लागू नहीं है जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद एक गैर सिक्किम व्यक्ति से शादी कर रही है।
10(30)	भारत में चाय के माध्यम से या चाय के बढ़ते और विनिर्माण चाय के कारोबार में लगे किसी भी निर्धारित द्वारा प्राप्त किसी भी सब्सिडी की राशि पूर्णतः कर मुक्त होगी।
10(31)	रबड बोर्ड, कॉफी बोर्ड, स्पाईस बोर्ड या किसी अन्य से या माध्यम से भारत में निर्मित रबड, कॉफी, इलायची या अन्य विशिष्ट वस्तुओं के व्यापार में लगे किसी भी सब्सिडी की राशि कर मुक्त होगी।
10(35)	विनिर्दिष्ट उपक्रम, विनिर्दिष्ट कम्पनी, म्यूचुअल फण्ड के प्रशासकों से इकाइयों के सम्बन्ध में आय मुक्त होगी। हालांकि ऐसी इकाई हस्तान्तरण से उत्पन्न आय मुक्त नहीं होगी।

10(AA)	विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) में नवीन प्रतिस्थापित इकाइयों के लिए कर छुट्टी, जो उत्पादन या वस्तुओं या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण शुरू करने या शुरू करने के लिए निर्मित होती है, या निर्यात से अपने लाभ के सम्बन्ध में 15 लगातार निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी SEZ में या उसके बाद 1.4.2005 में कोई भी सेवा प्रदान करता है
	छूट की राशि =
	$\text{SEZ की इकाई का लाभ} \times \frac{\text{SEZ इकाई की निर्यात बिक्री}}{\text{SEZ इकाई की कुल बिक्री}}$
	उस लाभ 100 % पहले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्ष में 50 % और आखिरी 5 वर्ष में विशेष संचय 50 % में स्थानान्तरण के अधीन मुक्त होगा।

आपके ज्ञान का परीक्षण (Test Your Knowledge)

- गैर कृषि आय के साथ कृषि आय के आंशिक एकीकरण की अवधारणा लागू होगी :
 - केवल निवासीय और HUF
 - केवल फर्म और कम्पनियाँ
 - व्यक्ति, HUF, AOP/ BOI और कृत्रिम व्यक्ति
 - सभी व्यक्ति
- निम्नलिखित में कौन सी आय कृषि आय होगी :
 - पशुधन के प्रजनन से आय
 - कुक्कुट पालन खेती से आय
 - सिनेमा शूटिंग के लिए इस्तेमाल की गयी भूमि से प्राप्त किराया
 - कृषि गतिविधियों के लिए जरूरी मवेशियों की चराई के लिए इस्तेमाल भूमि से प्राप्त किराया
- निम्नलिखित में से कौन सी आय सिविकम के व्यक्ति के हाथों में मुक्त होगी?
 - केवल सिविकम राज्य में किसी स्रोत से आय
 - केवल लाभांश के रूप में आय
 - केवल प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय
 - उपर्युक्त सभी
- भारत में विक्रेता द्वारा खरीदी गयी और ठीक होने वाली कॉफी की बिक्री से प्राप्त आय के मामले में कृषि और व्यावसायिक आय का अनुपात है :
 - क्रमशः 65% और 35%
 - क्रमशः 75% और 25%
 - क्रमशः 60% और 40%
 - क्रमशः 70% और 30%

5. भारत में चाय की पत्तियों के बढ़ने और चाय के निर्माण से निर्धारिती द्वारा प्राप्त आय के मामले में कृषि और व्यावसायिक आय का अनुपात है :
 - (a) क्रमशः 65% और 35%
 - (b) क्रमशः 75% और 25%
 - (c) क्रमशः 60% और 40%
 - (d) क्रमशः 70% और 30%
6. 61 वर्ष की उम्र के एक व्यक्ति की कृषि आय का आंशिक एकीकरण आवश्यक नहीं है, यदि उसकी :
 - (a) शुद्ध कृषि आय ₹ 5,000 से अधिक नहीं होती।
 - (b) गैर कृषि आय ₹ 2,50,000 से अधिक नहीं होती।
 - (c) गैर कृषि आय ₹ 3,00,000 से अधिक नहीं होती।
 - (d) उपर्युक्त दोनों (a) और (c)।
7. संसद के सदस्य के मामले में :
 - (a) दैनिक भत्ता मुक्त है लेकिन लागू नियमों के अनुसार प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता कर योग्य है।
 - (b) लागू नियमों के अनुसार प्राप्त निर्वाचन भत्ता मुक्त है, लेकिन दैनिक भत्ता कर योग्य है।
 - (c) लागू नियमों के अनुसार प्राप्त दैनिक भत्ते और निर्वाचन भत्ता दोनों कर योग्य हैं।
 - (d) लागू नियमों के अनुसार प्राप्त दैनिक भत्ते और निर्वाचन भत्ते दोनों कर मुक्त हैं।
8. लाभ के सम्बन्ध में धारा 10AA के तहत उपलब्ध कटौती की मात्रा और SEZ इकाई द्वारा प्राप्त लाभ उत्पाद के निर्यात से होती है :
 - (a) पहले 10 लगातार AYs के लिए निर्यात लाभ का 100% और अगले 5 लगातार AYs में 50%
 - (b) पहले 5 लगातार AYs के लिए निर्यात लाभ का 100% और अगले 10 लगातार AYs में 50%
 - (c) पहले 15 लगातार AYs के लिए निर्यात लाभ का 100%
 - (d) पहले 5 लगातार AYs के लिए निर्यात लाभ का 100% अगले 5 लगातार AYs के लिए निर्यात लाभ का 50% और 5 लगातार AYs के लिए निर्यात लाभ का 50% , जैसे विशेष संचय खाते में जमा किया गया है।
9. धारा 10 के तहत निम्नलिखित से कौन सी आय मुक्त होती है?
 - (a) HUF से एक सदस्य की आय का भाग
 - (b) फर्म से एक साझेदार की आय का भाग
 - (c) फर्म से साझेदार द्वारा प्राप्त वेतन
 - (d) (b) और (c) दोनों

10. इनमें से कौन सी कृषि भूमि है, यह मानते हुए कि ऐसी भूमि पर फसलों की खेती की जा रही है और वह भूमि स्थापित होती है ?
- (a) एक नगरपालिका की स्थानीय सीमा से 3 किमी के भीतर एक क्षेत्र और पिछली जनगणना के अनुसार 80000 की जनसंख्या है।
 - (b) एक नगरपालिका की स्थानीय सीमा से 1.5 किलोमीटर के भीतर एक क्षेत्र और पिछली जनगणना के अनुसार 12,000 की जनसंख्या है।
 - (c) एक नगरपालिका की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के भीतर एक क्षेत्र और पिछली जनगणना के अनुसार 11,00,000 की जनसंख्या है।
 - (d) एक नगरपालिका की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर के भीतर एक क्षेत्र और पिछली जनगणना के अनुसार 10,50,000 की जनसंख्या है।

उत्तर (Answers)

1. (c), 2. (d), 3. (d), 4. (b), 5. (c), 6. (d), 7. (d)
8. (d), 9. (c), 10. (a).